आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

यह रिपोर्ट भारत के राजपत्र में तारीख 01 मई, 2018 को प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 में विहित प्रारूप के अनुरूप है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
www.ibbi.gov.in

शासी बोर्ड

(31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)

अध्यक्ष

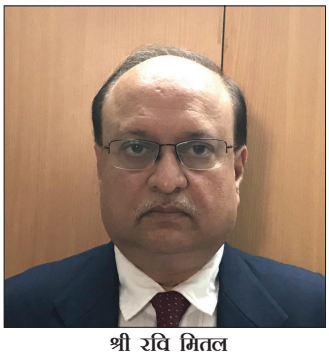

श्री रवि मितल

पूर्णकालिक सदस्य

डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय

श्री सुधाकर शुक्ला

पदेन सदस्य

डॉ. अनुराधा गुरु
आर्थिक सलाहकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

डॉ. राजीव मणि
अपर सलाहकार
विधिक कार्य विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय

डॉ. शशांक सक्सेना
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय

श्री उनिकृष्णन ए.
विधिक सलाहकार
भारतीय रिजर्व बैंक

अंशकालिक सदस्य

श्री बी. श्रीराम
पूर्व प्रबंधन निदेशक और मुख्य
कार्यकारी अधिकारी, आईडीबीआई बैंक

डॉ. कृष्णामूर्ति सुब्रामनियन
प्रोफेसर, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद
पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत

कार्यपालक निदेशक

(31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)

नाम	विभाग	आवंटित कार्य
श्री रितेश कावड़िया	शिकायतें और परिवाद	शिकायतें
		परिवाद निवारण
		निरीक्षण
		अन्वेषण
		सतर्कता
	सहायता सेवाएं और अनुसंधान	मानव संसाधन
		स्थापना
		वित्त और लेखा
		अनुसंधान और प्रकाशन
		अनुसंधान मार्गदर्शन समूह आरजीजी
श्री संतोष कुमार शुक्ला	विधिक कार्य, न्यायनिर्णयन और अभियोजन और सतर्कता	विधिक कार्य
		न्यायनिर्णयन
		अभियोजन
		न्यायालय कार्यवाहियां
		अनुशासनात्मक समिति को संदर्भित मामलों के संसाधन से संबंधित मामले
		मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता
	बोर्ड सचिवालय	बोर्ड की बैठकें
		रणनीति
		संचार
		संसद
		एफएसडीसी से संबंधित मामले
श्री अमित प्रधान	दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र	दिवाला व्यावसायिक और दिवाला व्यावसायिक एंटीटीज
		दिवाला व्यावसायिक अभिकरण
		रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक एंटिटीज और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन
		सूचना उपयोगिता
		दिवाला और मूल्यांकन परीक्षा
		स्नातक और राष्ट्रीय दिवाला कार्यक्रम
	पक्ष-समर्थन	ज्ञान प्रबंधन
		भागीदारी
		सतत व्यावसायिक शिक्षा
		अंतरराष्ट्रीय मामले
		वार्षिक रिपोर्ट
श्री संदीप गर्ग	दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रियाएं	कारपोरेट दिवाला
		कारपोरेट परिसमापन
		व्यष्टिक दिवाला और शोधन अक्षमता
		डेटा प्रसार
	सूचना प्रौद्योगिकी	वेबसाइट और संबंधित कार्यों का प्रौद्योगिकी उन्नयन
		आईबीसी-21

आईबीबीआई के अधिकारी

(31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)

1	श्री राजेश कुमार गुप्ता	सीजीएम
2	श्री मनीषकुमार एम. चौधरी	सीजीएम
3	श्री सी. रामचंद्र राव	जीएम
4	श्री बी. शंकरनारायणन	जीएम
5	श्री राजेश कुमार	जीएम
6	श्री सुभाष चौधरी	जीएम
7	श्री राजेश तिवारी	जीएम
8	श्री दीपक राव	जीएम
9	श्री दिलीप अर्जुन खंडाले	डीजीएम
10	सुश्री कोकिला जयराम	डीजीएम
11	श्री सुशांत कुमार दास	डीजीएम
12	श्री केशव कुमार गिरिधारी	डीजीएम
13	श्री नीतीश सैनी	एजीएम
14	श्री मयंक मेहता	एजीएम
15	श्री राहुल खन्ना	एजीएम
16	श्री अनिकेत शर्मा	प्रबंधक
17	श्री प्रतीक जैन	प्रबंधक
18	श्री पंकज धापोडकर	प्रबंधक
19	श्री राधारमण कुमार	प्रबंधक
20	श्री राघव माहेश्वरी	प्रबंधक
21	सुश्री अर्चना शर्मा	प्रबंधक
22	श्री विनय पाण्डेय	प्रबंधक
23	सुश्री पूजा गिला	प्रबंधक
24	श्री असित बेहरा	प्रबंधक
25	श्री अंशुल अग्रवाल	प्रबंधक
26	सुश्री मेधा शेखर	प्रबंधक
27	सुश्री मनप्रीत कौर	प्रबंधक
28	श्री अभिषेक मित्तपल्ली	प्रबंधक
29	श्री ओम प्रकाश	सहायक प्रबंधक
30	सुश्री नमिषा सिंह	सहायक प्रबंधक
31	सुश्री तुहिना मर्दी	सहायक प्रबंधक
32	श्री सरम संतोष	सहायक प्रबंधक
33	श्री दीपतांशु सिंह	सहायक प्रबंधक
34	श्री राममिलन सिंह यादव	सहायक प्रबंधक
35	श्री सौरव मनोहर सरदार	सहायक प्रबंधक
36	श्री यादविंदर	सहायक प्रबंधक
37	श्री ओमबीर सिंह	सहायक प्रबंधक

विषय-वस्तु

व्यष्टियां	पृष्ठ संख्या
सारणियों की सूची	viii
संक्षेपाक्षरों की सूची	ix
खंड क: अध्यक्ष का कथन	1
खंड ख: समीक्षाधीन वर्ष	2
खंड ग: नीतियां, कार्यक्रम और कार्यकलाप	4
खंड घ: बोर्ड के कार्य	13
खंड ङ: परिणामों का विश्लेषण	17
खंड च: संहिता का प्रभाव	22
खंड छ: बोर्ड का कार्य-निष्पादन	24
खंड ज: शासी बोर्ड का कार्य-निष्पादन	25
खंड झ: बोर्ड का वित्तीय कार्य-निष्पादन	27
खंड ञ: सांविधिक दायित्वों के साथ अनुपालन	28
खंड ट: संगठनात्मक मामले	33

सारणियों की सूची

प्र. सं.	सारणियों की सूची	पृष्ठ संख्या
1.	2021-22 में नीति और विनियामक घटनाओं का कालक्रम	2
2.	सेवा प्रदाताओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नियामक और नीतिगत विकास	4
3.	बोर्ड द्वारा 2021-22 के दौरान जारी परिपत्र	5
4.	2021-22 के दौरान प्रक्रियाओं सीआईआरपी, परिसमापन, स्वैच्छिक परिसमापन, आदि से संबंधित नियामक विकास	6
5.	2021-22 में आयोजित बोर्ड के पक्ष-समर्थन और जागरूकता कार्यक्रम	7
6.	2021-22 में आयोजित निबंध प्रतियोगिताएं	10
7.	2021-22 में आयोजित मूट कोर्ट प्रतियोगिताएं	11
8.	मार्च 2022 के अंत तक बोर्ड की क्षमता निर्माण पहलें	11
9.	2021-22 के दौरान अनुसंधान पहल और प्रकाशन	11
10.	सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण और एएफए विवरण	13
11.	31 मार्च, 2022 तक आईआरपी के स्थान पर आरपी का प्रतिस्थापन	13
12.	2021-22 के दौरान तैयार किया गया आईपी का पैनल	13
13.	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार आईपी द्वारा अर्जित सीपीई घंटे	14
14.	2021-22 में मूल्यांकन परीक्षाओं का सारांश	14
15.	एनईएसएल के पास उपलब्ध जानकारी का विवरण	14
16.	31 मार्च, 2022 तक शिकायतों एवं परिवादों की प्राप्ति एवं निस्तारण	14
17.	आईबीबीआई द्वारा आयोजित आईपी का निरीक्षण	15
18.	आईबीबीआई द्वारा की गई अभियोजन संबंधी कार्रवाई	15
19.	आईपी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करना और उनका निपटान	16
20.	2021-22 में अनुशासनात्मक कार्यवाही को बंद करना	16
21.	सीआईआरपी, परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाओं का सारांश	17
22.	12 बड़े खातों की स्थिति	18
23.	डीएचएफएल के समाधान का विवरण	19
24.	व्यैक्तिक प्रत्याभूतिदाताओं का दिवाला समाधान	19
25.	उभरती न्यायप्रणाली का सारांश, 2021-22	19
26.	शासी बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	25
27.	2021-22 में शासी बोर्ड का कार्य-निष्पादन	25
28.	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आय और व्यय विवरण	27
29.	सांविधिक दायित्वों के अनुपालन का विवरण	28
30.	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार आईबीबीआई का शासी बोर्ड	33
31.	अनुशासन समिति की संरचना	33
32.	आईबीबीआई के कर्मचारी	34
33.	2021-22 में दिये गए विशिष्ट व्याख्यान	34
34.	2021-22 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें आईबीबीआई के अधिकारियों ने भाग लिया	34
35.	आईबीबीआई द्वारा अपने अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	35
36.	आरटीआई आवेदन और प्रथम अपीलों की प्राप्ति और निपटान	37

संक्षेपाक्षरों की सूची

ए.ए.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
ए.सी.	सलाहकार समिति
एएफए	कार्य के लिए प्राधिकृत करना
एजीएम	सहायक महाप्रबंधक
एएम	सहायक प्रबंधक
एआर	प्राधिकृत प्रतिनिधि
एआरसी	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड
बीएलआरसी	शोधन अक्षमता विधि सुधार समिति
बोर्ड/आईबीबीआई	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
बोर्ड विनियमन	आईबीबीआई (आदर्श उप-विधि और दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों का शासी बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) विनियमन, 2016
बीएसई	बंबई स्टॉक एक्सचेंज
उप-विधि विनियमन	आईबीबीआई (शासी बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) विनियमन, 2017
बीटी	शोधन अक्षमता न्यासी
सी एंड एजी	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
सीडी	कारपोरेट ऋणी
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीआईएन	कारपोरेट पहचान संख्या
सीआईआरपीएस	कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया/प्रक्रियाएं
सीआईआरपी विनियमन	आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016
सीओसी	लेनदारों की समिति
संहिता/आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016
सीजीएम	मुख्य महाप्रबंधक
सीपीई	सतत व्यावसायिक शिक्षा
सीपीआईओ	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीपीजीआरएएमएस	केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और मानिटरिंग प्रणाली
डीसी	अनुशासनात्मक समिति
डीजीएम	उप-महाप्रबंधक
डीएचएफएल	दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
डीआरटी	ऋण उगाही अधिकरण
डीवीआई	डेक्कन मूल्य निवेश
ईडी	कार्यपालक निदेशक
परीक्षा	सीमित दिवाला परीक्षा
एफएए	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
एफसी/एफसीज	वित्तीय लेनदार/ लेनदारों
एफसीडीओ	विदेश, कामनवेल्थ और विकास कार्यालय
फिक्की	फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स और इंडस्ट्री
एफएसडीसी	वित्तीय सतता और विकास परिषद
एफआईएसपी	वित्तीय सेवा प्रदाता
जीए/पीए	सामान्य सहायक/व्यैक्तिक सहायक
जीबी	शासी बोर्ड
जीआईपी	स्नातक दिवाला कार्यक्रम
जीएम	महाप्रबंधक
जीएनएलयू	गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गांधीनगर
जीओआई	भारत सरकार
जीआरआर	वैश्विक पुनर्संरचना समीक्षा
जीएसटी	वस्तुएं और सेवाएं कर
एचसी	उच्च न्यायालय
आईएआईआर	अंतरराष्ट्रीय दिवाला विनियामक एसोसिएशन
आईबीए	इंडियन बैंक एसोसिएशन
आईसीएआई	भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान
आईसीसी	आतंरिक शिकायत समिति
आईसीडी	दिवाला प्रारम्भ तारीख
आईसीएआई लागत	भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
आईसीएसआई	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
आईसीएसआई- आईआईपी	आईसीएसआई दिवाला व्यावसायिक संस्थान
आईडीबीआई	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आईईपीएफ	निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष
आईजीएनओयू	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
आईआईसीए	भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान
आईआईआईपीआई	भारतीय आईसीएआई दिवाला व्यावसायिक संस्थान
आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आईएलसी	दिवाला विधि समिति
आईपीएस	दिवाला व्यावसायिक/दिवाला व्यावसायिकों
आईपी विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक विनियमन, 2016
आईपीए/आईपीएज	दिवाला व्यावसायिक एंटिटी/इंटिटीज
आईपीए विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियमन, 2016
आईपीईएस	दिवाला व्यावसायिक एंटिटी/दिवाला व्यावसायिक इंटिटीज
आईआरपी	अंतरिम समाधान व्यावसायिक अभिकरण
आईटीडी	आय कर विभाग
आईयू	सूचना उपयोगिता
आईयू विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिता) विनियमन, 2017
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानें
समापन विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016
एलओडीआर विनियमन	सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियमन, 2015
एम	प्रबंधक
एमसीए	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओएलजे	विधि और न्याय मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एनबीएफसी	गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी
एनसीईआर	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद

एनईएसएल	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड
एनसीएलएटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
एनपीए	अनर्जक आस्तियां
एनपीसी	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनएसई	राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज
एनएसओ	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
ओसी/ओसीज	प्रक्रियागत लेनदार/लेनदारों
पीएनए	स्थायी खाता संख्या
पीजीएस	व्यैक्तिक प्रत्याभूतिदाता ओं
पीएमओ	प्रधान मंत्री कार्यालय
पीएसबीएस	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक/ बैंकों
पीवीबीएस	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक/ बैंकों
पीपीआईआरपी	प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया
आरए	समाधान आवेदक
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरएफएमएलआर	राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि, वित्तीय और मर्केंटाइल विधि समीक्षा विश्वविद्यालय, पटियाला
आरएफआरपी	समाधान योजना के लिए अनुरोध
आरपी	समाधान व्यावसायिक
आरटीआई	सूचना का अधिकार
आरटी-पीसीआर	रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलिमर्स चेन रियक्शन
आरवी/आरवीज	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक/रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों
आरवीओ/आरवीओज	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन/ रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों
एसएपी	कार्यनीतिक कार्य योजना
एसएआरएफएईएसआई	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002
एसबीआई	भारतीय स्टेट बैंक
एससी	उच्चतम न्यायालय
एससीबीएस	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एससीएन	कारण बताओ सूचना
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
युएनसीआईटीआरएएल	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग
मूल्यांकन नियम	कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017
डब्ल्यूटीएम	पूर्णकालिक सदस्य

क अध्यक्ष का कथन

1.1 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता/आईबीसी) आर्थिक विधानों के क्षेत्र में उल्लेखनीय यात्रा के साथ खेल परिवर्तक गेम चेंजर की भूमिका में रही है। 2016 में संहिता के अधिनियमन के लगभग छः वर्ष बाद, आज यह संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र और संस्थानों से समर्थित सुचारू ढंग से चलने वाला तेल-युक्त उपकरण बन गया है। संहिता के अधीन स्थापित नियामक अर्थात भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (बोर्ड/आईबीबीआई) ने विकसित होने वाले परिचालन वातावरण में हमेशा अपने अधिदेश को पूरा करने का प्रयास किया है।

1.2 संहिता के कार्यान्वयन को जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा सुगम बनाया गया है। अखिल भारतीय उपस्थिति और न्यायशास्त्र की बड़ी मात्रा के साथ न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (एए) की पंद्रह पीठों ने संहिता के उद्देश्यों की उपलब्धि में वृद्धि को सुलभ बनाया है। संहिता के अधीन प्रक्रियाओं को विनियमित व्यावसायिकों और व्यावसायिक एंटिटीज द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें लगभग 4,000 दिवाला व्यावसायिक (आईपी), 3 दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों (आईपीए), लगभग 90 दिवाला व्यावसायिक एंटिटीज (आईपीई), 16 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन (आरवीओ), 4,600 से अधिक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक (आरवी) शामिल हैं। इसके अलावा, एनईएसएल सूचना विषमता के मुद्दों को हल करने के लिए सूचना उपयोगिता (आईयू) के रूप में कार्य करता है।

1.3 संकटग्रस्त आस्ति बाजार में गतिविधियों की मंदी के बावजूद, कोविड-19 महामारी के कारण, अब तक आईबीसी के अधीन संचयी परिणाम सभी हितधारकों के लिए उत्साहजनक रहे हैं। संहिता ने समाधान के माध्यम से संकट में पड़े कारपोरेट देनदारों (सीडी) को बचाया है और साथ ही, इसने समय पर परिसमापन के माध्यम से अव्यवहार्य फर्मों को फिल्टर करने में सहायता की है। कुल 1,797 सीडी की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसके परिणामस्वरूप व्यवसाय जारी रहा, जिनमें से 480 सीडी को समाधान योजनाओं के माध्यम से बचाया गया और 1,317 सीडी का वापसी या बंद करने के माध्यम से प्रक्रिया के बीच में बचाव किया गया। एक तिहाई सीडी, जिनके लिए समाधान योजना को स्वीकृति दी गई थी, प्रवेश के चरण में गहरे संकट में थीं। इसके अलावा, 1,609 सीडी, जो आर्थिक रूप से अव्यवहार्य थीं, के परिसमापन के लिए संदर्भित किया गया (इनमें से तीन-चौथाई सीडी या तो रुग्ण थीं या सक्रिय नहीं थीं। बचाई गई सीडी में करीब 1.31 लाख करोड़ रुपये की आस्तियां थी। जबकि परिसमापन के लिए संदर्भित सीडी में 0.56 लाख करोड़ रुपये की आस्तियां थी, जब इन्हें संहिता के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया सीआईआरपी में प्रवेश कराया गया था।

1.4 संहिता को एक आर्थिक कानून के रूप में देखा जाता है जिससे देनदारों के बीच व्यवहारिक परिवर्तन आया है और उधारदाताओं और उधारकर्ताओं, और प्रवर्तकों और लेनदारों के बीच गतिशीलता और संतुलन में सांस्कृतिक बदलाव आया है। हजारों देनदार, जब व्यतिक्रम आसन्न है, चुकौती के लिए नोटिस प्राप्त होने पर संकट के शुरुआती चरणों में संकट का समाधान कर रहे हैं, आवेदन फाइल करने से पहले, आवेदन फाइल करने के बाद, लेकिन इसके प्रवेश से पहले, और आवेदन के प्रवेश के बाद भी, समाधान प्रक्रिया के प्रतिकूल परिणामों से बचने का सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं। मार्च, 2022 तक, सीडी के सीआईआरपी शुरू करने के लिए, 21,000 से अधिक आवेदन, जिनमें अंतर्निहित व्यतिक्रम 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक था, को प्रक्रिया में प्रवेश करने से पहले ही हल कर लिया गया था। केवल कुछ कंपनियां, जो पहले के किसी भी चरण में संकट को दूर करने में विफल रहती हैं, पूरी समाधान प्रक्रिया में से गुजरती हैं।

1.5 संहिता पिछले छः वर्षों के दौरान अनेक अज्ञात स्थितियों का सामना करती रही है। इस यात्रा में कई मील के पत्थर हासिल किए गए हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। बाजार की वास्तविकताओं के प्रत्युत्तर में, संहिता को इसके अधिनियमन के बाद से छः बार संशोधित किया जा चुका है, जिससे यह हाल के दिनों के सबसे गतिशील विधानों में से एक बन गई है। प्रक्रियाओं को मजबूत करने और संहिता के मूल उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक संशोधन में प्रमुख सीख को समाविष्ट किया गया है।

1.6 कुशल दिवाला व्यवस्था के लिए परिसमापन की अपेक्षा जारी कंसर्न की स्थिति को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, और सीडी को जारी कंसर्न के रूप में रखते हुए, लेनदारों को एक जुट होने और मूल्य को संरक्षित करने के लिए समाधान योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन आर्थिक रूप से संकटग्रस्त सीडी के लिए, इसका संचालन जारी रखना कठिन होता है। संकटग्रस्त सीडी के पुनरुद्धार को सुकर बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि कम लागत वाले अंतरिम वित्त को समयबद्ध तरीके से सुलभ बनाया जाए। संहिता के अधीन स्वामित्व वाले लेनदारों का मॉडल, सीडी को जारी कंसर्न के रूप में संचालित करने और पर्याप्त वित्त-पोषण की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व लेनदारों की समिति सीओसी के सदस्यों पर डालता है। इसके अतिरिक्त, बचाव वित्त के साथ आगे आने के लिए उधारदाताओं को प्रशासन और दिवाला प्रक्रियाओं में भागीदारी अधिकारों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

1.7 प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और कुशल तरीके से संचालित करने के लिए, आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग भी करना चाहिए। वर्तमान में, आईबीसी के हितधारक एकाकीसोच के साथ कार्य करते हैं और उनके अलग-अलग खंडित प्रोद्योगिकीय मंच होते हैं। ऐसे में एक ऐसे व्यापक सूचना प्रोद्योगिकी मंच की आवश्यकता है जो प्रक्रियाओं का एंड-टू-एंड एकीकरण और डिजिटलीकरण सुनिश्चित कर सके और सत्य सूचना के एकल स्रोत के रूप में कार्य कर सके। ऐसा एकीकृत मंच विलंब को कम करने, पारदर्शिता में वृद्धि करने, समाधान आवेदकों की भागीदारी में वृद्धि करने, प्रभावी निर्णय लेना सुकर बनाने, मूल्य का अधिकतमीकरण करने आदि सहित दिवाला प्रक्रिया के परिणामों में सुधार ला सकता है।

1.8 संहिता की बढ़ती बैंडविड्थ से तालमेल बैठाने के लिए, आशा है कि व्यावसायिकों और संस्थानों से युक्त पारिस्थितिकी तंत्र भी बाजार और हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता और सक्षमता में वृद्धि करेगा। सरकार, न्यायपालिका, आईबीबीआई और पारिस्थितिकी तंत्र के सभी सहभागियों की प्रतिबद्धता के समर्थन से, आशा है कि अब तक प्राप्त किए गए लाभ आगे बढ़ते रहेंगे और रास्ते में आने वाली चुनौतियों को भी उसी प्रतिबद्धता और तत्परता से निपटाया जाएगा, जैसा कि संहिता की स्थापना के बाद से किया गया है।

(रवि मितल)

ख समीक्षाधीन वर्ष

प्रमुख नीतिगत विकास

2.1 वर्ष 2021-22 के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में प्रमुख नीति और नियामक विकास, जिसमें अन्य प्राधिकरणों और नियामक निकायों द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं भी शामिल हैं, सारणी 1 में प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी 1 : 2021-22 में नीति और विनियामक घटनाओं का कालक्रम

तारीख	विकास
04.04.21	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021 कारपोरेट एमएसएमई के लिए पीपीआईआरपी प्रदान करने के लिए प्रख्यापित किया गया।
09.04.21	केंद्र सरकार द्वारा कारपोरेट एमएसएमई के लिए पीपीआईआरपी शुरू करने की प्रक्रिया और प्ररूप प्रदान करने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया नियम, 2021 अधिसूचित किया गया है।
09.04.21	आईबीबीआई ने पीपीआईआरपी के हिस्से के रूप में विभिन्न कार्यों को करने के रूपों और तरीके को निर्दिष्ट करने के लिए आईबीबीआई पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियम, 2021 अधिसूचित किया।
09.04.21	केंद्र सरकार ने कारपोरेट एमएसएमई के पीपीआरआईपी से संबंधित मामलों के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपये की राशि व्यतिक्रम के रूप में निर्दिष्ट की।
13.04.21	आईबीबीआई ने आईबीबीआई सूचना उपयोगिताए विनियम, 2017 में संशोधन किया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं द्वारा व्यतिक्रम की जानकारी को नियमित रूप से अद्यतन किया जा सके और आईयू के पास ऋण जानकारी से संबंधित आंकड़ों का व्यापक त्रैमासिक प्रकाशन किया जा सके।
16.04.21	आईबीबीआई ने स्पष्टीकरण जारी किया कि समाधान व्यावसायिक आरपी वोटिंग शेयर के 33 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले लेनदारों से अनुरोध प्राप्त होने पर सीओसी की बैठक बुलाने के लिए नोट / मुद्दे पर विचार करने के लिए बैठक बुलाएगा।
19.04.21	आरबीआई ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों एआरसी के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिए समिति का गठन किया और वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसी संस्थाओं को सक्षम करने के लिए उपयुक्त उपायों की अनुशंसा की।
27.04.21	आईबीबीआई ने आईबीबीआई दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों के आदर्श उप-नियम और शासी बोर्ड विनियम, 2016 में संशोधन किया ताकि आईपीए द्वारा ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट एएफए को जारी करने, अस्वीकार करने या नवीनीकरण करने की समय-सीमा निर्दिष्ट की जा सके और इसके लिए एएफए के आवेदन की अस्वीकृति के मामले में अपील की व्यवस्था की जा सके।
27.04.21	आईबीबीआई ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए आईबीबीआई दिवाला व्यावसायिक विनियम, 2016 में संशोधन किया और आईपीई को 30 दिनों का समय दिया ताकि वह आईबीबीआई को अपने निदेशकों / भागीदारों में किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित कर सके।
05.05.21	आरबीआई ने कोविड-19 के पुन: बढने से उत्पन्न अनिश्चितताओं के कारण ऋणों के पुनर्भुगतान में तनाव को कम करने के लिए तनावग्रस्त व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और एमएसएमई के ऋण पुनर्गठन के लिए रूपरेखा की घोषणा की, जिनका कुल जोखिम 25 करोड़ रुपये था। 04 जून, 2021 के परिपत्र के माध्यम से कुल एक्सपोजर सीमा को ऊपर की ओर संशोधित करके 50 करोड़ रुपये तक कर दिया गया।
05.05.21	आईबीबीआई ने आईबीसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थानों/सिविल सेवा अकादमियों/न्यायिक अकादमियों, 2021 के साथ ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन/अल्पकालिक/प्रमाणपत्र पाठ क्रमों के लिए एसोसिएशन के लिए दिशानिदेश जारी किए।
01.06.21	आईबीबीआई ने दिवाला व्यावसायिकों को अंतरिम समाधान व्यावसायिकों, परिसमापकों, समाधान व्यावसायिकों और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) दिशानिदेश, 2021 के रूप में कार्य करने के लिए जारी किया ताकि बोर्ड आईपी का सामान्य पैनल तैयार कर सके और एए के साथ साझा कर सके।
17.06.21	आईबीबीआई ने अब तक आईबीसी के अधीन अधिसूचित सभी विनियमों पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
18.06.21	केंद्र सरकार ने ऐसी कंपनी की समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद सूचीबद्ध कंपनी के लिए कुछ सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं में संशोधन करने के लिए प्रतिभूति अनुबंध विनियमन नियम, 1957 में संशोधन किया।
09.07.21	आईबीबीआई ने सेबी, बीएसई और एनएसई के परामर्श से मार्गदर्शन नोट जारी किया जिसमें आईपी को समाधान योजना के अनुमोदन और सीडी की शेयरधारिता पर प्रभाव के बारे में स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया गया।
14.07.21	आईबीबीआई ने आईबीबीआई कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियम, 2016 में संशोधन किया है ताकि अन्य बातों के साथ आईपी को ऐसे व्यावसायिकों को नियुक्त करने की अनुमति दी जा सके जिनकी सेवाएं सीआईआरपी के संचालन के लिए आवश्यक हैं और आईपी को बोर्ड को सीआईआरपी में परिहार लेनदेन के निर्धारण के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है।
16.07.21	दिवाला कानून समिति आईएलसी ने पीपीआईआरपी ढांचे पर अपनी चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें एमएसएमई के लिए वैकल्पिक और प्रभावी पीपीआईआरपी के डिजाइन और कार्यान्वयन की अनुशंसा की गई।
20.07.21	आईबीबीआई ने परिपत्र जारी किया जिसमें आईपी को निदेश दिया गया था कि प्ररूप सीआईआरपी 8, विनियमन 35क के अधीन राय के विवरण और परिहार लेनदेन के निर्धारण को बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज किया जाएगा।
22.07.21	आईबीबीआई ने आईबीबीआई दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों के आदर्श उप-नियम और शासी बोर्ड विनियम, 2016, में संशोधन किया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आईपीए को अपनी अनुशासनात्मक समिति डीसी द्वारा लगाए गए मौद्रिक दंड की तुरंत वसूली होगी और इसे संहिता की धारा 222 के अधीन गठित निधि में जमा कर दिया जाएगा।
22.07.21	आईबीबीआई ने, अन्य बातों के साथ-साथ, स्पष्ट करने के लिए आईबीबीआई दिवाला व्यावसायिक विनियम, 2016 में संशोधन किया है, कि कोई आईपी, किसी भी समय सीआईआरपी में आरपी के रूप में दस से अधिक असाइनमेंट नहीं रख सकता है, जिनमें से तीन से अधिक का प्रत्येक का एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का दावा फाइल नहीं किया होगा।
26.07.21	आईबीबीआई ने आईयू के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया में पैन या सी-केवाईसी के उपयोग के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, आईबीबीआई सूचना उपयोगिता विनियम, 2017 के अधीन मुख्य सेवाओं और अन्य सेवाओं के प्रदर्शन के लिए तकनीकी मानकों के दिशानिदेशों में संशोधन किया।
28.07.21	आईबीबीआई ने आईपीए के व्यावसायिक सदस्यों पर डीसी द्वारा लगाए जाने वाले दंड ढांचे के लिए आईपीए को अपने उपनियमों में संशोधन करने का निदेश देते हुए परिपत्र जारी किया।

03.08.21	वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन-नुकसान और समाधान' विषय पर अपनी 32वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की।
12.08.21	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश, 2021 कारपोरेट एमएसएमई के लिए पीपीआईआरपी प्रदान करने के लिए प्रख्यापित किया गया।
18.08.21	सरकार ने आयकर नियम, 1962 में संशोधन किया ताकि अंतरिम समाधान व्यावसायिक आईआरपी, आरपी या परिसमापक को सीआईआरपी या परिसमापन प्रक्रिया से गुजरने वाली सीडी के संबंध में आयकर रिटर्न को सत्यापित करने में सक्षम बनाया जा सके और सीडी के अधिकृत प्रतिनिधि एआर के रूप में किसी भी आयकर प्राधिकरन या अपीलीय अधिकरण के समक्ष पेश हो सकें।
03.09.21	आईबीबीआई ने आईबीबीआई दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा ऑनलाइन शैक्षिक पाठ क्रम और सतत व्यावसायिक शिक्षा की ऑनलाइन प्रदायगी दिशानिदेश, 2020 को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है।
30.09.21	आईबीबीआई ने आईबीबीआई कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियम, 2016 में संशोधन किया, ताकि रुचि की अभिव्यक्ति, समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध आरएफआरपी और समाधान योजना में संशोधनों को केवल एक बार प्रतिबंधित किया जा सके और समाधान आवेदक आरए अपनी योजनाओं में सुधार करने के लिए चुनौती तंत्र के उपयोग का प्रावधान किया जा सके।
30.09.21	आईबीबीआई ने, अन्य बातों के साथ-साथ, हितधारकों की परामर्श समिति के साथ अनिवार्य परामर्श के दायरे का विस्तार करते हुए आईबीबीआई परिसमापन प्रक्रिया विनियम, 2016 परिसमापन विनियम में संशोधन किया।
30.09.21	आईबीबीआई ने परिसमापकों को सलाह दी कि वे 1 अक्टूबर, 2021 से समाचार पत्रों में प्रकाशन के दिन बोर्ड की वेबसाइट पर किसी भी परिसमापन आस्ति की प्रत्येक नीलामी की सार्वजनिक सूचना अपलोड करें।
02.11.21	आरबीआई समिति ने एआरसी के कामकाज की समीक्षा के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आईबीसी के अधीन तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान में एआरसी की भूमिका की समीक्षा की गई और उसकी सिफारिशें की गईं।
10.11.21	आईबीसी के परिणामों को ट्रैक करने संबंधी कार्य समूह ने आईबीबीआई को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें आईबीसी के अधीन उपलब्धियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने हेतु मैट्रिक्स विकसित करने के लिए व्यापक ढांचे की अनुशंसा की गई।
15.11.21	आईबीबीआई ने स्पष्ट करने के लिए परिपत्र जारी किया कि, स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया को संभालने वाले आईपी को उक्त प्रक्रिया में अनुपालन के हिस्से के रूप में आयकर विभाग आईटीडी से अनापत्ति प्रमाणपत्र / बकाया प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।
24.11.21	केंद्र सरकार ने सीमापार दिवाला के बारे में अक्टूबर, 2018 की आईएलसी रिपोर्ट के परिचयात्मक नोट और प्रारूप भाग य पर हितधारकों से सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित कीं।
24.11.21	आईबीबीआई ने आधार, पैन आदि जैसी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण और दुरुपयोग को रोकने के लिए लेनदारों की सूची दर्ज करने के लिए निर्धारित प्रारूप के विवरण से पहचान संख्या कॉलम को हटाने के लिए 27 नवंबर, 2020 और 4 मार्च, 2021 के अपने परिपत्र के आंशिक संशोधन में दो परिपत्र जारी किए।
01.12.21	आईबीबीआई ने अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी अनुशंसा द्वितीय दिशानिदेश, 2021 के रूप में कार्य करने के लिए दिवाला व्यावसायिक नाम से दिशानिदेश जारी किए, ताकि 1 जनवरी, 2022 से 30 जून, 2022 तक आईपी का सामान्य पैनल तैयार किया जा सके और आईआरपी, परिसमापक, आरपी और शोधन अक्षमता न्यासी बीटी के रूप में नियुक्तियों के लिए एए के साथ साझा किया जा सके।
21.12.21	आईबीबीआई ने आईबीबीआई दिवाला व्यवसायिक अभिकरणों और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा ऑनलाइन शैक्षिक पाठ्यक्रम और सतत व्यावसायिक शिक्षा की ऑनलाइन प्रदायगी दिशानिदेश, 2020 को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया।
23.12.21	केंद्र सरकार ने संहिता के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान और परिसमापन ढांचे में प्रस्तावित परिवर्तनों/संशोधनों पर जनता की टिप्पणियां आमंत्रित कीं।
29.12.21	एनसीएईआर ने 29 दिसंबर, 2021 को 'भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियामक प्रदर्शन का मूल्यांकन' के बारे में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।
24.01.22	सेबी ने 'विशेष परिस्थिति आस्ति', श्रेणी / वैकल्पिक निवेश कोष के अधीन एक उप-श्रेणी आरंभ करने के लिए सेबी वैकल्पिक निवेश निधि विनियमों में संशोधन किया, जो 'विशेष परिस्थिति आस्ति' में निवेश करेगा।
09.02.22	आईबीबीआई ने कुछ परिपत्रों के माध्यम से दिए गए निदेशों को विनियमों में एकीकृत करने के लिए आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में संशोधन किया।
29.03.22	आईबीबीआई ने आईबीबीआई दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा ऑनलाइन शैक्षिक पाठ्यक्रम और सतत व्यावसायिक शिक्षा की ऑनलाइन प्रदायगी दिशानिदेश, 2020 की वैधता 30 सितंबर, 2022 तक बढ़ा दी है।

ग नीतियां, कार्यक्रम और कार्यकलाप

ग.1 सेवा प्रदाता

3.1 संहिता के अधीन सेवा प्रदाताओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नियामक और नीतिगत विकास सारणी 2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी 2 : सेवा प्रदाताओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नियामक और नीतिगत विकास

तारीख	विषय वस्तु
क. दिवाला व्यावसायिक / दिवाला व्यावसायिक एंटिटीज	
27.04.21	**आईपी विनियमों में संशोधन** आईबीबीआई ने आईबीबीआई दिवाला व्यावसायिक विनियम, 2016 में संशोधन किया और वर्ष 2020-21 के लिए शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी। इसने इस तरह की नियुक्ति या समाप्ति की तारीख से अपने निदेशकों / भागीदारों की नियुक्ति और समाप्ति के बारे में आईबीबीआई को सूचित करने के लिए आईपीई के लिए 30 दिनों तक का समय भी दिया।
01.06.21	**आईपी के पैनल के लिए दिशानिदेश** आईबीबीआई ने दिवाला व्यावसायिकों को अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी सिफारिशें दिशानिदेश, 2021 के रूप में कार्य करने के लिए दिशानिदेश जारी किए। ये दिशानिदेश बोर्ड को 1 जुलाई, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक आईपी का सामान्य पैनल तैयार करने और आईआरपी, परिसमापक, आरपी और बीटी के रूप में नियुक्ति के लिए एए के साथ साझा करने में सक्षम बनाते हैं।
22.07.21	**आईपी विनियमों में संशोधन** आईबीबीआई ने 22 जुलाई, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से आईबीबीआई दिवाला व्यावसायिक विनियम, 2016 में संशोधन किया। इसने स्पष्ट किया कि एक आईपी, किसी भी समय, एक सीआईआरपी में आरपी के रूप में दस से अधिक असाइनमेंट नहीं रख सकता है, जिनमें से अधिक नहीं तीन ने एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के दावों को स्वीकार किया होगा। संशोधन आईपीई अनुप्रयोगों के त्वरित संसाधन के लिए बोर्ड द्वारा पालन किए जाने वाले तरीके और समय-सीमा के साथ-साथ आईपीई के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए लागू होने वाले 'निवल मूल्य' शब्द पर भी स्पष्टता प्रदान करता है।
01.12.21	**आईपी के पैनल के लिए दिशानिदेश** आईबीबीआई ने दिवाला व्यावसायिकों को अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) द्वितीय दिशानिदेश, 2021 के रूप में कार्य करने के लिए जारी किया। ये दिशानिदेश बोर्ड को 1 जनवरी, 2022 से 30 जून, 2022 तक आईपी का एक सामान्य पैनल तैयार करने और आईआरपी, परिसमापक, आरपी और बीटी के रूप में नियुक्त करने के लिए एए के साथ साझा करने में सक्षम बनाते हैं।
ख. दिवाला व्यावसायिक अभिकरण	
27.04.21	**आदर्श उपनियम विनियमों में संशोधन** कोविड-19 की दूसरी लहर से उत्पन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, आईबीबीआई ने आईबीबीआई (आदर्श उप-नियम और दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016 में निम्नलिखित के लिए संशोधन किया: (क) जहां संशोधन के शुरू होने की तारीख से 31 अक्टूबर, 2021 के बीच प्राप्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख के तीस दिनों के भीतर आईपीए द्वारा एएफए जारी, नवीनीकृत या अस्वीकार नहीं किया जाएगा, एएफए को जारी किया गया या नवीनीकृत माना जाएगा। (ख) जहां एएफए के लिए आवेदन निरस्त कर दिया जाता है, पीड़ित आवेदक आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर आईपीए की सदस्यता समिति को अपील कर सकता है। हालांकि, अगर इसे संशोधन के शुरू होने की तारीख से 31 अक्टूबर, 2021 तक निरस्त कर दिया जाता है, तो पीड़ित आवेदक 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है।
22.07.21	**आदर्श उपनियम विनियमों में संशोधन** आईबीबीआई ने आईबीबीआई (आदर्श उप-नियम और दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 में संशोधन किया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आईपीए अपने डीसी द्वारा लगाए गए मौद्रिक दंड की तुरंत वसूली करें और इसे संहिता की धारा 222 के अधीन सृजित निधि में जमा करें।
ग. सूचना उपयोगिताएं	
13.04.21	**आईयू विनियमों में संशोधन** आईबीबीआई ने आईबीबीआई सूचना उपयोगिताएं विनियम, 2017 में संशोधन किया और प्ररूप ग को व्यापक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए संशोधित किया। इसके लिए उपयोगकर्ताओं को महीने के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार, अगले महीने के पहले सप्ताह में जानकारी अपडेट करने की आवश्यकता होती है। तथा", व्यतिक्रम की सूचना व्यतिक्रम होने के सात दिनों के भीतर अद्यतन की जाएगी। संशोधन, आईयू को तिमाही आधार पर अपने कब्जे में ऋण संबंधी जानकारी से संबंधित आंकड़े प्रकाशित करने के लिए अनिवार्य करता है, जो मुद्रा, भूगोल, क्षेत्र, आकार, अवधि, प्रकार, उधार व्यवस्था, और व्यतिक्रम की घटनाओं के संदर्भ में ऋण का वितरण प्रदान करेगा।
26.07.21	**तकनीकी मानक दिशानिदेशों में संशोधन** आईबीबीआई ने आईबीबीआई सूचना उपयोगिताएं विनियम, 2017 के अधीन मुख्य सेवाओं और अन्य सेवाओं के प्रदर्शन के लिए तकनीकी मानकों के दिशानिदेशों में संशोधन किया। ये दिशानिदेश आईयू के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया में पीएएन या सी-केवाईसी के उपयोग के लिए प्रदान करते हैं। यह एक सरकारी विभाग या किसी अन्य अभिक्रण, जिसके पास पैन नहीं है या व्यक्ति या कानूनी इकाई या विदेशी एंटिटी जिसे कोई पहचान विवरण जारी नहीं किया गया है, को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। ये दिशानिदेश वित्तीय जानकारी के आगे सत्यापन और प्रमाणीकरण के साथ ऋण के रिकॉर्ड के लिए सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने को भी निर्धारित करते हैं।

तारीख	विषय वस्तु
घ. अन्य घटनाएं	
03.09.21	**शैक्षिक पाठ्यक्रम दिशानिदेशों के ऑनलाइन वितरण में संशोधन** 3 सितंबर, 2021 की अधिसूचना के अधीन, आईबीबीआई ने आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम और सतत व्यावसायिक शिक्षा की ऑनलाइन प्रदायगी) दिशानिदेश, 2020 को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया।
30.11.21	**परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन** आईबीबीआई ने आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के नियम 3 3 के अनुसार, 30 नवंबर, 2021 को सीमित दिवाला परीक्षा के सातवें चरण के लिए संशोधित पाठ्यक्रम और अन्य विवरणों को अधिसूचित किया। परीक्षा का सातवां चरण 1 मार्च, 2022 से शुरू हुआ।
21.12.21	**शैक्षिक पाठ्यक्रम दिशानिदेशों के ऑनलाइन वितरण में संशोधन** 21 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से, आईबीबीआई ने आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों द्वारा शैक्षिक पाठ क्रम और सतत व्यावसायिक शिक्षा की ऑनलाइन प्रदायगी) दिशानिदेश, 2020 को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया।
29.03.22	**शैक्षिक पाठ्यक्रम दिशानिदेशों के ऑनलाइन वितरण में संशोधन** आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों द्वारा शैक्षिक पाठ क्रम और सतत व्यावसायिक शिक्षा की ऑनलाइन प्रदायगी दिशानिदेश, 2020 की वैधता को 29 मार्च, 2022 के संशोधन के माध्यम से 30 सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया।

परिपत्र

3.2 बोर्ड समय-समय पर आईपी, आईपीए और आईयू की निगरानी के लिए परिपत्र जारी करता है ताकि इसके निगरानी कार्य को सुविधाजनक बनाया जा सके, संहिता और विनियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके, या विनियमों के कुछ पहलुओं को स्पष्ट या समझाया जा सके। समीक्षाधीन अवधि में बोर्ड द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण परिपत्र सारणी 3 में सूचीबद्ध हैं।

सारणी 3 : बोर्ड द्वारा 2021-22 के दौरान जारी परिपत्र

तारीख	विषय-वस्तु
20.07.21	**प्ररूप सीआईआरपी 8 भरना** सीआईआरपी विनियमों के विनियम 40ठ के उप-विनियम (1ख) के लिए आरपी को प्ररूप सीआईआरपी 8 फाइल करने की आवश्यकता होती है, जिसमें नियम 35क के अधीन उसकी राय और निर्धारण का विवरण, दिवाला शुरू होने की तारीख के 140वें दिन तक दर्ज किया जाता है। आईबीबीआई ने परिपत्र के माध्यम से निदेश दिया कि प्ररूप सीआईआरपी 8 को अन्य सीआईआरपी फॉर्मों की तरह बोर्ड की वेबसाइट पर भी फाइल किया जाएगा।
28.07.21	**आईपीए द्वारा लगाया गया मौद्रिक दंड** एक आईपीए के डीसी अपने व्यावसायिक सदस्यों पर आदर्श उप-कानून विनियमों की अनुसूची के खंड 24 (2)(घ) के अधीन मौद्रिक दंड लगा सकते हैं। निष्पक्षता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, आईबीबीआई ने आईपीए के व्यावसायिक सदस्यों पर डीसी द्वारा लगाए जाने वाले दंड ढांचे के लिए आईपीए को अपने उप-नियमों में संशोधन करने का निदेश देते हुए एक परिपत्र जारी किया।
30.09.21	**परिसमापन आस्तियों की नीलामी** बोर्ड ने बेची जा रही परिसमापन आस्तियों के लिए दृश्यता में सुधार, प्रक्रिया में तेजी लाने और बेहतर वसूली के लिए, अपनी वेबसाइट पर परिसमापन आस्तियों की नीलामी के सार्वजनिक नोटिस की मेजबानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान किया है। आईबीबीआई ने परिसमापन विनियमों की अनुसूची-। के पैराग्राफ 1 के खंड (5) के प्रयोजनों के लिए इस मंच को नामित करते हुए परिपत्र जारी किया। इसलिए, समापकों को निदेश दिया गया कि वे किसी भी परिसमापन आस्ति की प्रत्येक नीलामी की सार्वजनिक सूचना को 1 अक्टूबर, 2021 से समाचार पत्रों में प्रकाशन के दिन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करें।
15.11.21	**स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया के दौरान आयकर विभाग (आईटीडी)से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगना** आईबीबीआई स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया विनियम, 2017 परिसमापक को हितधारकों द्वारा दावों को प्रस्तुत करने के लिए सार्वजनिक घोषणा करने का आदेश देता है। यह देखा गया कि दावों को फाइल करने का अवसर प्रदान करने के बाद भी, परिसमापक आईटीडी से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' एनओसी या 'अदेयता प्रमाण पत्र' एनडीसी मांगते हैं, भले ही संहिता या विनियमों में ऐसी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की परिकल्पना नहीं की गई है। परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 178 के साथ पठित संहिता और विनियमों के उपबंधों के अनुसार, स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया को संभालने वाले आईपी को उक्त प्रक्रिया में अनुपालन के हिस्से के रूप में आईटीडी से किसी भी एनओसी/एनडीसी की मांग करने की आवश्यकता नहीं है।
24.11.21	**सीआईआरपी विनियमों के विनियम 13 (2)(नक)के अधीन लेनदारों की सूची फाइल करना** आईबीबीआई कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियम, 2016 में आईपी को बोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर हितधारकों की सूची फाइल करने की आवश्यकता है। आईबीबीआई ने 27 नवंबर, 2020 के परिपत्र के माध्यम से आईपी को बोर्ड की वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर हितधारकों की सूची और उसके संशोधन को निर्धारित प्रारूप में फाइल करने का निदेश दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी 'आधार अधिनियम, 2016 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुपालन में पहचान की जानकारी और संवेदनशील व्यैक्तिक डेटा या जानकारी हासिल करने के लिए सामान्य दिशानिदेशों' का पालन करने के लिए, आईबीबीआई ने मौजूदा परिपत्र को आंशिक रूप से संशोधित किया और संशोधित दिशानिदेश जारी किया। आईपी को सूची या उसके संशोधन, जैसा भी मामला हो, संशोधित प्रारूप में तैयार होने के तीन दिनों के भीतर फाइल करने के लिए निदेशित किया गया।

तारीख	विषय वस्तु
24.11.21	**परिसमापन प्रक्रिया विनियमों के विनियम 31(5)(घ)के अधीन हितधारकों की सूची फाइल करना** आईबीबीआई परिसमापन प्रक्रिया विनियम, 2016 के लिए परिसमापक को बोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर हितधारकों की सूची दाखिल करने की आवश्यकता है। आईबीबीआई ने 4 मार्च, 2021 के परिपत्र के माध्यम से परिसमापकों को बोर्ड की वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर हितधारकों की सूची और उसके संशोधन को निर्धारित प्रारूप में फाइल करने का निर्देश दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी 'आधार अधिनियम, 2016 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुपालन में पहचान की जानकारी और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी प्राप्त करने के लिए सामान्य दिशानिर्देशों' का पालन करने के लिए, आईबीबीआई ने मौजूदा परिपत्र को आंशिक रूप से संशोधित किया और दिनांक 24 नवंबर, 2021 के परिपत्र के माध्यम से उसमें निर्धारित प्रारूप के विवरण से कॉलम ''पहचान संख्या'' को हटाने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। आईपी को सूची या उसके संशोधन, जैसा भी मामला हो, संशोधित प्रारूप में तैयार होने के तीन दिनों के भीतर फाइल करने के लिए निर्देशित किया गया।

ग.2 : प्रक्रियाएं

3.3 यह संहिता कारपोरेट व्यक्तियों के दिवाला समाधान के लिए चार प्रक्रियाओं का प्रावधान करती है, नामत: सीआईआरपी, फास्ट ट्रैक रिजॉल्यूशन प्रक्रिया, परिसमापन प्रक्रिया और भाग ।। के अधीन स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया। ये प्रक्रियाएं 2016 और 2017 में लागू हुई हैं। यह 2019 में लागू हुई सीडी के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया और व्यैक्तिक प्रत्याभूतिदाताओं पीजी की शोधन अक्षमता प्रक्रिया का भी प्रावधान करती है। यह उप-खंड समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन प्रक्रियाओं में से प्रत्येक में नियामक विकास को सूचीबद्ध करती है।

सारणी 4 : 2021-22 के दौरान प्रक्रियाओं (सीआईआरपी, परिसमापन, स्वैच्छिक परिसमापन, आदि) से संबंधित नियामक विकास

अधिसूचना की तारीख	विषय वस्तु
09.04.21	**पीपीआईआरपी विनियम** आईबीबीआई ने पीपीआईआरपी के संचालन को सक्षम करने के लिए आईबीबीआई (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 को अधिसूचित किया। इन विनियमों ने उन रूपों को निर्दिष्ट किया है जिनका उपयोग करने के लिए हितधारकों की आवश्यकता होती है, और पीपीआईआरपी के हिस्से के रूप में उनके द्वारा विभिन्न कार्यों को पूरा करने का तरीका। वे निम्नलिखित से संबंधित विवरण और तरीके प्रदान करते हैं: (क) आरपी के रूप में कार्य करने की पात्रता, और उनकी नियुक्ति की शर्तें; (ख) आरवी और अन्य व्यावसायिकों की पात्रता; (ग) एआर की पहचान और चयन; (घ) सार्वजनिक घोषणा और हितधारकों के दावे; (ड़) सूचना ज्ञापन; (च) लेनदारों और लेनदारों की समिति सीओसी की बैठकें; (छ) समाधान योजनाओं के लिए आमंत्रण; (ज) आधार समाधान योजना और सर्वोत्तम समाधान योजना के बीच प्रतिस्पर्धा; (झ) समाधान योजनाओं का मूल्यांकन और विचार; (ञ) आरपी के साथ सीडी का निहित प्रबंधन; और (ट) पीपीआईआरपी की समाप्ति।
16.04.21	**सीओसी की बैठक बुलाना** सीओसी की बैठक बुलाने के संबंध में आईबीबीआई ने 16 अप्रैल, 2021 को स्पष्टीकरण जारी किया। 33% वोटिंग शेयर का प्रतिनिधित्व करने वाले लेनदार आरपी से सीओसी की बैठक बुलाने का अनुरोध कर सकते हैं। इस तरह के अनुरोध में संबंधित दस्तावेजों, यदि कोई हो, के साथ चर्चा किए जाने वाले मामलों या मतदान किए जाने वाले मुद्दों के प्रस्ताव सहित नोट शामिल किया जाएगा। आरपी अनुरोध प्राप्त होने पर, नोट पर विचार के लिए तुरंत सीओसी की बैठक बुलाएगा या सीओसी की बैठक में विचार के लिए नोट रखेगा, यदि यह पहले से ही निर्धारित है। जहां 33% से कम मतदान शेयर वाले सदस्यों द्वारा अनुरोध किया जाएगा, वहां आरपी गुण-दोष के आधार पर अनुरोध पर शीघ्रता से विचार करेगा।
09.07.21	**स्टॉक एक्सचेंज - सीआईआरपी से गुजर रही कंपनियों के लिए मार्गदर्शी नोट** सेबी, बीएसई और एनएसई के परामर्श से, आईबीबीआई द्वारा 9 जुलाई, 2021 को जारी दिशा-निदेश नोट, आईपी को सेबी (देयताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं की सूचीबद्धता लिस्टिंग) विनियमन, 2015 (एलओडीआर रेगुलेशन) के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों को पहले से निर्धारित के अलावा निम्नलिखित प्रकटीकरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है: (क) सुनवाई की तारीख के बारे में कम से कम दो कार्य दिवसों से पूर्व सूचना जिसमें एनसीएलटी समाधान योजना पर विचार करेगा। (ख) एक्सचेंज को किए जाने वाले समाधान योजना के अनुमोदन का प्रकटीकरण मौखिक घोषणा या अन्यथा आदेश द्वारा तत्काल आधार पर और 30 मिनट के भीतर किया जाना है। (ग) आरपी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के मौजूदा धारकों/निवेशकों पर लिस्टिंग की स्थिति, मौजूदा धारकों की होल्डिंग के मूल्य, मौजूदा इक्विटी शेयरों, अधिमान शेयरों/डिबेंचरों आदि को बट्टे लेखा में डालने/रद्द करने/समाप्त करने जैसे क्षेत्रों पर किसी भी प्रभाव की सूचना ऐसे धारकों को, जहां लागू हो, बिना किसी भुगतान के देगा। (घ) कंपनियों/आरपी को सलाह दी गई थी कि वे एलओडीआर विनियमों के उपबंधों द्वारा निदेशित हों और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाने तक समाधान योजना की गोपनीयता बनाए रखें।
14.07.21	**सीआईआरपी विनियमों में संशोधन** सीआईआरपी विनियमों में दूसरा संशोधन निम्नलिखित के लिए प्रदान करके कारपोरेट दिवाला कार्यवाही में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है: (क) सीआईआरपी का संचालन करने वाला आईपी अपने सभी संचार और रिकॉर्ड में सीडी के वर्तमान नाम और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते के साथ दिवाला शुरू होने से पहले के दो वर्षों में सभी पूर्व नामों और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पतों का खुलासा करेगा। (ख) आरवी के अलावा, आईआरपी/आरपी व्यावसायिक की नियुक्त कर सकता है, अगर उसकी राय है कि ऐसे व्यावसायिक की सेवाओं की आवश्यकता है और ऐसी सेवाएं सीडी के साथ उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, ऐसी नियुक्तियां उद्देश्यपूर्ण और पारदशद्र प्रक्रिया का पालन करते हुए बिना किसी पक्षपात के आधार पर की जाएंगी। शुल्क का चालान व्यावसायिक के नाम पर बनाया जाएगा और उसके बैंक लेखा में भुगतान किया जाएगा। (ग) आरपी को बोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर प्ररूप सीआईआरपी 8 फाइल करना होगा, जिसमें 14 जुलाई, 2021 को या उसके बाद जारी या शुरू होने वाले प्रत्येक सीआईआरपी के संबंध में परिहार लेनदेन के संबंध में उनकी राय और निर्धारण का विवरण दिया जाएगा। आईबीबीआई ने परिपत्र के माध्यम से सीआईआरपी 8 के प्रारूप को भी निर्दिष्ट किया।

अधिसूचना की तारीख	विषय वस्तु
30.09.21	**सीआईआरपी विनियमों में संशोधन** सीआईआरपी विनियमों में तीसरे संशोधन से निम्नलिखित का प्रावधान करके सीआईआरपी में आचरण, समय-सीमा और मूल्य अधिकतमीकरण को बढ़ाया : (क) समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए, इसमें केवल एक बार तक सीमित किए जाने के लिए हित की अभिव्यक्ति, आरएफआरपी और समाधान योजना में किए जा सकने वाले संशोधनों को निर्धारित किया गया। (ख) संहिता के 'मूल्य अधिकतमकरण' उद्देश्य को बढ़ावा देने और पारदर्शिता में सुधार, और समाधान के लिए एक विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता, आरए को अपनी योजनाओं में सुधार करने के लिए चुनौती तंत्र का उपयोग प्रदान किया गया था।
30.09.21	**परिसमापन विनियमों में संशोधन** आईबीबीआई ने आईबीबीआई परिसमापन प्रक्रिया विनियम, 2016 में संशोधन किया है, जिसमें आस्तियों की बिक्री और व्यावसायिकों की नियुक्ति से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए हितधारकों की परामर्श समिति के साथ अनिवार्य परामर्श के दायरे का विस्तार किया गया है। यह हितधारकों की परामर्श समिति में हितधारकों के प्रतिनिधियों के चयन के तरीके का भी प्रावधान करता है। विनियमों में संशोधन में आगे प्रावधान किया गया है कि परिसमापक को नीलामी में भाग लेने के लिए गैर-वापसी योग्य किसी भी जमा या शुल्क के भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी, और बयाना राशि नीलामी में आरक्षित मूल्य के 10% से अधिक नहीं होगी। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, समापक उच्चतम बोली को अस्वीकार करने के कारणों की सूचना उच्चतम बोली लगाने वाले को देगा और अगली प्रगति रिपोर्ट में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
09.02.22	**सीआईआरपी विनियमों में संशोधन** संशोधन में आईबीबीआई द्वारा समय-समय पर सीआईआरपी के दौरान उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने के लिए और संहिता के बेहतर कार्यान्वयन के लिए, अनुपालन में आसानी के लिए और विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से दिए गए निदेशों को संबंधित विनियमों में एकीकृत करने के लिए जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों की समीक्षा की गई। परिपत्र संख्या आईबीबीआई/सीआईआरपी/2021 समिति के सदस्यों के अनुरोध पर सीओसी द्वारा मामलों/मुद्दों पर विचार करने पर स्पष्टीकरण देते हुए 16 अप्रैल, 2021 को जारी किया गया और परिपत्र सं. सीआईआरपी से संबंधित अभिलेखों के प्रतिधारण के संबंध में 6 जनवरी, 2021 को जारी आईबीबीआई/सीआईआरपी/ 38/2021 को क्रमशः विनियम 18 और विनियम 39क में संशोधन के माध्यम से सीआईआरपी विनियमों का अंश बनाया गया था।

ग.3 हितधारक जुड़ाव

3.4 आईबीबीआई अपने हितधारकों के साथ विभिन्न स्वरूपों जैसे पक्ष-समर्थन और जागरूकता कार्यक्रमों, वेबिनार, सम्मेलनों, बोलचाल, प्रमाणपत्र पाठ क्रम, निबंध और विवादास्पद प्रतियोगिताओं, आईबीसी पर ऑनलाइन राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2021-22, 111 के दौरान बोर्ड द्वारा पक्ष-समर्थन और जागरूकता कार्यक्रम, 4 निबंध प्रतियोगिताएं और एक मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका विवरण सारणी 5, 6 और 7 में सूचीबद्ध है।

सारणी 5 : 2021-22 में आयोजित बोर्ड के पक्ष-समर्थन और जागरूकता कार्यक्रम।

क्र. सं.	तारीख	व्यष्टियां	विषय	के सहयोग से
1	05.04.21 से 11.04.21	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	दिवाला कानून आईबीसी, 2016 पर विशेष ध्यान देने के साथ	एमएनएलयू
2	08.04.2021	वेबिनार	पीपीआईआरपी	आईआईआईपीआई, आईसीएसआई आईआईपी और आईपीए आईसीएआई
3	20.04.2021	आईपी के लिए 20वीं बुनियादी कार्यशाला (वर्चुअल मोड)	आईबीसी, 2016	–
4	22.04.2021	वेबिनार	पीपीआईआरपी	–
5	27.04.2021	आईपी के लिए 9वीं उन्नत कार्यशाला (वर्चुअल मोड)	आईबीसी, 2016	–
6	06.05.2021	वेबिनार	पीपीआईआरपी	–
7	12.05.2021	वेबिनार	पीपीआईआरपी	–
8	13.05.2021	आईपी के लिए 21वीं बुनियादी कार्यशाला (वर्चुअल मोड)	आईबीसी, 2016	–
9	19.05.2021	आईपी के लिए 10वीं उन्नत कार्यशाला (वर्चुअल मोड)	आईबीसी, 2016	–
10	20.05.2021	वेबिनार	पीपीआईआरपी	–
11	27.05.2021	वेबिनार	पीपीआईआरपी	–
12	02.06.2021	वेबिनार	भारत और अमेरिका में परिहार/असुरक्षित लेनदेन केस प्रबंधन	अंतरराष्ट्रीय दिवाला संस्थान
13	03.06.2021	वेबिनार	पीपीआईआरपी	–
14	04.06.2021	वेबिनार	भारत और यूके में परिहार/असुरक्षित लेनदेन केस प्रबंधन	अंतरराष्ट्रीय दिवाला संस्थान
15	09.06.2021	वेबिनार	पीपीआईआरपी	भारतीय बैंक परिसंघ
16	11.06.2021	आईपी के लिए 22वीं बेसिक कार्यशाला वर्चुअल मोड	आईबीसी, 2016	–
17	16.06.2021	वेबिनार	पीपीआईआरपी	भारतीय बैंक परिसंघ
18	23.06.2021	वेबिनार	पीपीआईआरपी	भारतीय बैंक परिसंघ
19	25.06.2021	आईपी के लिए 11वीं उन्नत कार्यशाला वर्चुअल मोड	आईबीसी, 2016	–

क्र. सं.	तारीख	व्यष्टियां	विषय	के सहयोग से
20	01.07.2021	डीपीआईआईटी वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के लिए अभिविन्यास सत्र	आईबीसी, 2016	–
21	02.07.2021	वेबिनार	परिहार/असुरक्षित लेनदेन: भारत/सिंगापुर में केस प्रबंधन	अंतरराष्ट्रीय दिवाला संस्थान
22	13.07.2021	आईपी के लिए 23वीं बेसिक कार्यशाला (वर्चुअल मोड)	आईबीसी, 2016	–
23	15.07.2021	आईपी के लिए 12वीं उन्नत कार्यशाला (वर्चुअल मोड)	आईबीसी, 2016	–
24	16.07.2021	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम	आईबीसी, 2016	–
25	19.07.2021	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम	आईबीसी, 2016	–
26	22.07.2021	वेबिनार	सेबी एलओडीआर विनियमों और आईबीसी का इंटरफ़ेस	–
27	23.07.2021	त्रिपुरा राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
28	26.07.2021	हरियाणा राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
29	29.07.2021	वेबिनार	सेबी एलओडीआर विनियमों और आईबीसी का इंटरफ़ेस	–
30	05.08.2021	वेबिनार	सेबी एलओडीआर विनियमों और आईबीसी का इंटरफ़ेस	–
31	12.08.2021	बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के लिए सीओसी कार्यशाला	आईबीसी, 2016	–
32	13.08.2021	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
33	18.08.2021	बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारियों के लिए कार्यशाला	आईबीसी, 2016	–
34	20.08.2021	पीआर. सीसीआईटी, कोलकाता और सिक्किम क्षेत्र के आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
35	26.08.2021	वेबिनार	कानूनी मामला प्रबंधन	एफसीडीओ यूके
36	27.08.2021	पीआर. सीसीआईटी, बेंगलुरु क्षेत्र के आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
37	27.08.2021	पीआर. सीसीआईटी, चेन्नई क्षेत्र के आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
38	01.09.21 और 02.09.21	बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के लिए कार्यशाला	आईबीसी, 2016	–
39	02.09.21 और 03.09.21	जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल इन्सॉल्वेंसी लॉ वर्किंग पेपर सीरीज़ का शुभारंभ	आईबीसी, 2016	जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल
40	02.09.21 और 03.09.21	सम्मेलन	आईबीसी, 2016 – शोधन अक्षमता संहिता के 5 वर्ष और उससे आगे	सीआईआई
41	06.09.2021	एमएसएमई उद्योग- उत्तर क्षेत्र के लिए पीपीआईआरपी पर वेबिनार	पीपीआईआरपी	एसआईडीबीआई
42	08.09.2021	एमएसएमई उद्योग- दक्षिण क्षेत्र के लिए पीपीआईआरपी पर वेबिनार	पीपीआईआरपी	एसआईडीबीआई
43	08.09.2021	कार्यशाला	आईबीबीआई: चरवाहा मूल्यांकन पेशा	आईबीए
44	09.09.2021	एमएसएमई – पश्चिम क्षेत्र उद्योग के लिए पीपीआईआरपी पर वेबिनार	पीपीआईआरपी	एसआईडीबीआई
45	17.09.2021	डीआरटी और डीआरएटी के अध्यक्षों / पीठासीन अधिकारियों, सदस्यों और अधिकारियों के लिए कार्यशाला	व्यैक्तिक दिवाला	वित्तीय सेवा विभाग
46	22.09.2021	कार्यशाला	आईबीबीआई: चरवाहा मूल्यांकन पेशा	आईबीए
47	23.09.2021	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के लिए कार्यशाला	आईबीसी, 2016	–
48	28.09.2021	दीपम के अधिकारियों के लिए जागरूकता सत्र	कंपनी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन नियम, 2017 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक पारिस्थितिकी तंत्र	दीपम
49	04.10.2021	पीआर. सीसीआईटी, दिल्ली क्षेत्र के आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
50	04.10.2021	पीआर. सीसीआईटी, एमपी और सीजी क्षेत्र के आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
51	06.10.2021	कार्यशाला	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक पारिस्थितिकी तंत्र और मूल्यांकन पेशा	–

क्र. सं.	तारीख	व्यष्टियां	विषय	के सहयोग से
52	08.10.2021	इंडियन ओवरसीज बैंक के अधिकारियों के लिए आईबीसी, 2016 पर कार्यशाला	आईबीसी, 2016	–
53	08.10.2021	पीआर. सीसीआईटी, बिहार और झारखंड क्षेत्र आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
54	11.10.2021	पीआर. सीसीआईटी, ओडिशा क्षेत्र के आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
55	11.10.2021	पीआर. सीसीआईटी, चंडीगढ़ क्षेत्र के आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
56	12.10.2021	भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के लिए कार्यशाला	आईबीसी, 2016	–
57	15.10.2021	पीआर.सीसीआईटी, हैदराबाद क्षेत्र के आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
58	15.10.2021	पीआर. सीसीआईटी, केरल क्षेत्र के आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
59	18.10.2021	पीआर. सीसीआईटी, अहमदाबाद क्षेत्र के आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
60	18.10.2021	पीआर. सीसीआईटी, नागपुर क्षेत्र के आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
61	20.10.2021	कार्यशाला	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक पारिस्थितिकी तंत्र और मूल्यांकन व्यवसाय	–
62	21.10.2021	एमएसएमई उद्योग – पूर्वी और उत्तर पूवद्र क्षेत्र के लिए वेबिनार	पीपीआईआरपी	एसआईडीबीआई
63	22.10.2021	पीआर. सीसीआईटी, पुणे क्षेत्र के आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
64	25.10.2021	पीआर. सीसीआईटी, राजस्थान क्षेत्र के आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
65	03.11.2021	ज्ञानदर्शन चैनल, इग्नू पर सत्र	आईबीसी और बाहर निकलने की स्वतंत्रता	इग्नू
66	12.11.2021	गोवा राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
67	16.11.2021	पीआर. सीसीआईटी, मुंबई क्षेत्र के आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
68	16.11.2021	पीआर. सीसीआईटी, गुवाहाटी क्षेत्र के आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
69	17.11.2021	ज्ञानदर्शन चैनल, इग्नू पर सत्र	आईबीसी: त्वरित समाधान के लिए एक प्रक्रियात्मक सुधार	इग्नू
70	18.11.2021	पीआर. सीसीआईटी, यूपी पश्चिम क्षेत्र के आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
71	18.11.2021	सत्र पीआर. सीसीआईटी, यूपी पूवद्र क्षेत्र के आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण	आईबीसी, 2016	–
72	18.11.2021	वेबिनार	स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया	एफसीडीओ यूके
73	20.11.2021	जयपुर में अभिमुखीकरण प्रोग्राम	आईबीसी, 2016 और उभरते परिदृश्य	आईसीएमएआई का आईपीए
74	20.11.2021	वेबिनार	दिवाला प्रक्रिया का डिजिटलीकरण	एनईएसएस
75	24.11.2021	जीएसटी विभाग के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सत्र	आईबीसी, 2016	–
76	29.11.2021	आईपी के लिए 24वीं बुनियादी कार्यशाला (वर्चुअल मोड)	आईबीसी, 2016	–
77	30.11.2021	आईपी के लिए 13वीं उन्नत कार्यशाला (वर्चुअल मोड)	आईबीसी, 2016	–
78	01.12.2021	ज्ञानदर्शन चैनल, इग्नू पर सत्र	उभरते नियामक ढांचे और आईबीसी	इग्नू
79	03.12.2021	वेबिनार	व्यैक्तिक दिवाला	एफसीडीओ यूके और आईआईआईपीआई
80	08.12.2021	कार्यक्रम	हासिल किए गए मील के पत्थर और आईपी और आरवी के लिए आगे का रास्ता	आईसीएमएआई का आईपीए और आईसीएमएआई आरवीओ
81	13.12.2021	कार्यशाला (हाइब्रिड मोड)	लेनदारों की समिति: सार्वजनिक आस्था का एक संस्थान	एसबीआई और आईबीए
82	15.12.2021	ज्ञानदर्शन चैनल, इग्नू पर सत्र	सीआईआरपी और परिसमापन का अवलोकन	इग्नू

क्र. सं.	तारीख	व्यष्टियां	विषय	के सहयोग से
83	24.12.2021	कार्यशाला	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक	–
84	29.12.2021	ज्ञानदर्शन चैनल, इग्नू पर सत्र	बीएलाअरसी द्वारा परिकल्पित आईबीसी ढांचा	इग्नू
85	05.01.2022	जीएसटी, गुजरात के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र	आईबीसी, 2016	एनएसीआईएन, वडौदरा
86	05.01.2022	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	आईबीसी, 2016	आईसीएआई
87	07.01.2022	कार्यशाला (हाइब्रिड मोड)	लेनदारों की समिति : सार्वजनिक आस्था का एक संस्थान	एसबीआई और आईबीए
88	10.01.2022	आईपी के लिए 25वीं बुनियादी कार्यशाला (वर्चुअल मोड)	आईबीसी, 2016	–
89	11.01.2022	आईपी के लिए 14वीं उन्नत कार्यशाला (वर्चुअल मोड)	आईबीसी, 2016	–
90	12.01.2022	ज्ञानदर्शन चैनल, इग्नू पर सत्र	आईबीसी, 2016 की धारा 12क के अधीन निपटान के अनुसार सीआईआरपी कार्यवाही को वापस लेने का विश्लेषण; और आईबीसी, 2016 के अधीन स्वच्छ स्लेट सिद्धांत	इग्नू
91	17.01.22 से 19.01.22	आईसीएलएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।	आईबीसी, 2016	–
92	20.01.2022	सम्मेलन	आईबीसी के 5 वर्ष: आगे और आगे की ओर देखना	एफआईसीसीआई
93	30.01.2022	ब्लॉग लेखन प्रतियोगिता और सम्मेलन	भारत में दिवाला व्यवस्था की विकसित गतिशीलता, 2022	आरजीएनयूएल
94	02.02.2022	ज्ञानदर्शन चैनल, इग्नू पर सत्र	आईबीसी इवॉल्विंग न्यायशास्त्र	इग्नू
95	03.02.2022	अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	एमएसएमई: विधायी और नियामक चुनौतियां	जीएनएलयू, टीएनएनएलयू और यूएनसीआईटीआरएल आरसीएपी
96	04.02.2022	वेबिनार	व्यैक्तिक गारंटर और निदेशकों के दायित्व	एफसीडीओ यूके
97	16.02.2022	ज्ञानदर्शन चैनल, इग्नू पर सत्र	आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र: प्राप्त किए गए मील के पत्थर और आगे की राह	इग्नू
98	16.02.2022	वेबिनार	सीआईआरपी के दौरान व्यावसायिकों की नियुक्ति	–
99	23.02.2022	वेबिनार	सीमा पार दिवाला	एफसीडीओ यूके और आईआईआईपीआई
100	23.02.2022	आईपी के लिए 15वीं उन्नत कार्यशाला	सीडी और उनके व्यैक्तिक प्रत्याभूतिदाताओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण	–
101	24.02.2022	आईपी के लिए 26वीं बुनियादी कार्यशाला (वर्चुअल मोड)	आईबीसी, 2016	–
102	26.02.2022	कोलकाता में अभिविन्यास कार्यक्रम	आईबीसी और इसके उभरते परिदृश्य	आईसीएमएआई आईपीए
103	02.03.2022	ज्ञानदर्शन चैनल, इग्नू पर सत्र	सीओसी और उधार देने के बाद आईबीसी	इग्नू
104	03.03.2022	नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम	आईबीसी, 2016	–
105	05.03.2022	पुणे में संगोष्ठी	आईबीसी और इसके उभरते परिदृश्य	आईसीएमएआई आईपीए
106	04.03.2022	कार्यशाला हाइब्रिड मोड	लेनदारों की समिति: सार्वजनिक आस्था का एक संस्थान	एसबीआई और आईबीए
107	08.03.2022	सेमिनार	अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस	–
108	12.03.2022	देहरादून में संगोष्ठी	आईबीसी और इसके उभरते परिदृश्य	आईसीएमएआई आईपीए
109	16.03.2022	ज्ञानदर्शन चैनल, इग्नू पर सत्र	परिचालन ऋण और परिचालन लेनदार; विवाद और अस्तित्व का विवाद और आईबीसी के संबंध में सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों का विश्लेषण; आईबीसी की धारा 12। के अधीन निपटान के अनुसार सीआईआरपी कार्यवाही को वापस लेने का विश्लेषण	इग्नू
110	26.03.2022	अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	भारत में आईबीसी और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य	आईआईआईपीआई
111	30.03.2022	ज्ञानदर्शन चैनल, इग्नू पर सत्र	अधिस्थगन की घोषणा और सार्वजनिक घोषणा; अधिस्थगन और नियुक्ति, कार्यकाल, और आईआरपी और आरपी की भूमिका से संबंधित न्यायिक घोषणाएं	इग्नू

शैक्षणिक जुड़ाव

सारणी 6 : 2021-22 में आयोजित निबंध प्रतियोगिताएं

क्र. सं.	माह	संस्थान का नाम	विषय
1	अप्रैल, 2021	राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल	भारत में ऋण बाजार के विकास में आईबीसी की भूमिका
2	जून, 2021	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर	कोविड के बाद के युग में दिवाला और शोधन अक्षमता कानूनों का विकसित परिदृश्य
3	जून, 2021	प्रबंधन अध्ययन विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर	भारत में ऋण बाजार के विकास में आईबीसी की भूमिका
4	सितंबर, 2021	दामोदरम संजीवेंया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम	आईबीसी

सारणी 7 : 2021-22 में आयोजित मूट कोर्ट प्रतियोगिताएं

क्र. सं.	तारीख	के सहयोग से	वाद-विवाद प्रस्ताव का विषय
1	25.03.2022 से 27.03.2022	हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	आईबीसी और संवैधानिक कानून

आरएफएमएलआर- भारत में दिवाला व्यवस्था, 2021 के विकास की गतिशीलता के बारे में आईबीबीआई ब्लॉग सीरीज प्रतियोगिता

3.5 आईबीबीआई और राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, फाइनेंशियल एंड मर्केंटाइल लॉ रिव्यू, पटियाला (आरएफएमएलआर) ने संयुक्त रूप से एक ब्लॉग सीरीज प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें छात्रों को भारत में दिवाला व्यवस्था, 2021 की विकसित गतिशीलता पर विभिन्न विषयों पर पांडुलिपियां जमा करने के लिए आमंत्रित किया गया। चयनित दिवाला सीरीज़ के अधीन आरएफएमएलआर ब्लॉग पर प्रविष्टियां प्रकाशित की गईं। प्रकाशित प्रविष्टियों में, शीर्ष तीन को प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ और द्वितीय सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि के लिए नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। ब्लॉग श्रृंखला प्रतियोगिता के बाद 30 जनवरी, 2022 को भारत में दिवाला व्यवस्था के विकास की गतिशीलता पर आरएफएमएलआर-आईबीबीआई सम्मेलन हुआ।

आईबीसी पर दूसरा राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी

3.6 आईबीबीआई ने MyGov.in और बीएसई इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड के सहयोग से, संहिता की जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त, 2021 से 31 अगस्त, 2021 तक देश भर में विभिन्न हितधारकों के बीच 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर दूसरा राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी' आयोजित किया।

3.7 प्रश्नोत्तरी को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 63,200 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रश्नोत्तरी में भाग लिया।

3.8 प्रश्नोत्तरी में छात्रों, व्यावसायिकों और नियोजित व्यक्तियों सहित समान रूप से व्यापक हितधारकों ने अत्यधिक रुचि दिखाई। शीर्ष 10% प्रदर्शन करने वालों में से लगभग 36% छात्र चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप या लागत और प्रबंधन अकाउंटेंसी के सदस्य थे; और 6% बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्मचारी थे।

क्षमता निर्माण

3.9 आईबीबीआई आईपीज के लिए कार्यशालाओं, वेबिनार, प्रशिक्षणों और गोलमेज सम्मेलनों जैसे विभिन्न क्षमता निर्माण पहल करता है। मार्च 2022 तक, सारणी 8 में सूचीबद्ध 234 ऐसी पहलों का आयोजन किया गया है।

सारणी 8: मार्च, 2022 के अंत तक बोर्ड की क्षमता निर्माण पहले

वर्ष/अवधि	बेसिक कार्यशाला	उन्नत कार्यशाला	अन्य कार्यशालाएं	वेबिनार	गोलमेज	प्रशिक्षण	कुल
2016–17	1	-	-	-	8	-	9
2017–18	6	-	-	-	44	-	50
2018–19	7	-	-	-	22	-	29
2019–20	4	6	5	1	22	-	38
2020–21	1	2	6	29	18	2	58
2021–22	7	7	-	21	12	3	50
कुल	26	15	11	51	126	5	234

ग.4 अनुसंधान

3.10 सारणी 9 में 2021-22 के दौरान बोर्ड की प्रमुख अनुसंधान और प्रकाशन गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 9 : 2021-22 के दौरान अनुसंधान पहल और प्रकाशन

क्र. सं.	में प्रकाशित	व्यष्टियां
1	जुलाई, 2021	आईबीबीआई अनुसंधान पहल, 2019 के अधीन 'कारपोरेट क्षेत्र में वित्तीय तनाव: भारत के बारे में अध्ययन' संबंधी वर्किंग पेपर का प्रकाशन।
2	अक्तूबर, 2021	आईबीबीआई वार्षिक प्रकाशन 2021 का प्रकाशन जिसका शीर्षक 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के पांच वर्ष'' है।
3	अक्तूबर, 2021	'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 – निकास की सुगमता के 5 वर्ष' के बारे में ई-पुस्तक का प्रकाशन।
4	फरवरी, 2022	आईसीएआई के सहयोग से आईबीसी 2016 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ।
5	मार्च, 2022	आईबीबीआई अनुसंधान पहल, 2019 के अधीन 'सूचना उपयोगिताएं और ब्लॉकचेन: एक असंभव लेकिन पवित्र भागीदारी' पर शोध पत्र।
6	संबंधित तिमाहियां	वर्ष के दौरान चार तिमाहियों के लिए त्रैमासिक समाचार पत्र।

कार्य समूह की रिपोर्ट - आईबीसी, 2016 के अधीन परिणामों पर नज़र रखना

3.11 आईबीसी के अधीन परिणामों पर नज़र रखने वाले कार्यदल का गठन 24 मई, 2019 को किया गया और इसने आईबीबीआई को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। आईबीसी के अधीन उपलब्धियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए आईबीसी के परिणामों को मापने के लिए मेट्रिक्स विकसित करने के लिए कार्य समूह ने व्यापक ढांचा समक्ष रखा है। देश में दिवाला शासन के प्रदर्शन के आकलन के लिए प्रस्तावित ढांचा तीन मापदंडों - प्रभावशीलता, दक्षता और प्रभावकारिता पर आधारित है। आईबीसी के परिणामों को मापने के लिए यह ढांचा शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को इस नए कानून के परिणामों के मूल्यांकन में शामिल बारीकियों की सराहना करने में मदद करेगा और उन्हें इस मुद्दे पर टुकड़ों में पहुंचने के बजाय समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए मार्गदर्शन करेगा।

घ बोर्ड के कार्य

4.1 संहिता की धारा 196 बोर्ड के कार्यों की गणना करती है, जिसे मोटे तौर पर तीन सेटों में बांटा जा सकता है, अर्थात्,

(क) अर्ध-विधायी कार्य: बोर्ड सेवा प्रदाताओं और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए नियम बनाता है;

(ख) कार्यकारी कार्य: बोर्ड दिवाला प्रक्रिया के लिए सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण और निगरानी करता है और शिक्षा, परीक्षा, प्रशिक्षण और सीपीई आदि के माध्यम से हितधारकों के व्यावसायिक विकास के लिए उपाय करता है; तथा

(ग) अर्ध-न्यायिक कार्य: बोर्ड उनके व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा उल्लंघनों पर निर्णय लेता है।

4.2 इन कार्यों में से प्रत्येक को आगे बढ़ाने के लिए 2021-22 के दौरान बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाइयों की गणना इस खंड में की गई है।

अर्ध-विधायी कार्य

4.3 2021-22 में बोर्ड ने नए विनियम को अधिसूचित किया। वर्ष के दौरान, कुछ मौजूदा विनियमों में संशोधन किए गए, जैसा कि खंड ख में विस्तृत है। इन विनियमों और संशोधनों का विवरण रिपोर्ट के खंड ग के संबंधित उप-अनुभागों के अधीन प्रदान किया गया है।

सलाहकार समितियां

4.4 आईबीबीआई ने आईबीबीआई सलाहकार समिति विनियम, 2017 के अनुसार निम्नलिखित तीन स्थायी सलाहकार समितियों एसी का गठन किया है।

I. सेवा प्रदाताओं संबंधी एसी

II. कारपोरेट दिवाला और शोधन अक्षमता संबंधी एसी

III. व्यैक्तिक दिवाला और शोधन अक्षमता संबंधी एसी

कार्यकारी कार्य

4.5 ऑपरेश्वटग विनियम अधिसूचित विनियमों को दिन-प्रतिदिन के आधार पर लागू करने की प्रक्रिया है ताकि इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। विनियमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए, कई गतिविधियां, जो कार्यकारी कार्यों की प्रकृति की होती हैं, की जाती हैं।

सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण

4.6 मार्च 31, 2022 तक, आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत सेवा प्रदाताओं का विवरण सारणी 10 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 10: सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण और एएफए विवरण

सेवा प्रदाता	संख्या	
	31 मार्च, 2022 तक	2021-22 में
रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक	4044*	549
मान्यता प्राप्त दिवाला व्यावसायिक एंटिटीज	91#	10
रजिस्ट्रीकृत आईपीए	3	शून्य
रजिस्ट्रीकृत सूचना उपयोगिता	1	शून्य
रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक - व्यैक्तिक	4639@	672
रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक - संस्थाएं	63	23
रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	16	Nil
आईपीए द्वारा जारी/नवीनीकृत असाइनमेंट के लिए कुल प्राधिकरण	2473^	2519

*नोट: *7 मामलों को छोड़कर जहां रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है और 18 मामले जहां व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है।*
#45 आईपीई को छोड़कर जिनकी मान्यता समाप्त कर दी गई है।
@ 2 आरवी सहित जिनका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है।
^528 ए एफ ए को छोड़कर जो समाप्त हो चुके हैं/नवीनीकृत नहीं हुए हैं।

आरपी के साथ आईआरपी का प्रतिस्थापन

4.7 31 मार्च, 2022 तक कुल 4043 आईआरपी को आरपी के रूप में नियुक्त किया गया है, जैसा कि सारणी 11 में दिखाया गया है।

सारणी 11 : 31 मार्च, 2022 तक आईआरपी के स्थान पर आरपी का प्रतिस्थापन

सीआईआरपी द्वारा शुरू किया गया	सीआईआरपी की संख्या	
	जहां आरपी की नियुक्ति की गई है	जहां आरपी आईआरपी से भिन्न है
कारपोरेट आवेदक	291	117
परिचालन लेनदार	1857	610
वित्तीय लेनदार	1895	396
कुल	4043	1123

नोट: – संहिता के अधीन शुरू किए गए 5258 सीआईआरपी में से 4043 सीआईआरपी में आरपी नियुक्त किए गए हैं। इनमें से 1123 सीआईआरपी में आरपी आईआरपी से अलग है।

आईपी का पैनल

4.8 आईबीबीआई ने वर्ष के दौरान आईपी के दो पैनल तैयार किए जैसा कि सारणी 12 में दिखाया गया है।

सारणी 12: 2021-22 के दौरान तैयार किए गए आईपी के पैनल

क्र. सं.	पैनल की तारीख	दिशा-निदेशों के अधीन तैयार किए गए पैनल	पैनल में क्षेत्रों की संख्या	पैनल में आईपी की संख्या
1	30.06.21	दिवाला व्यावसायिक अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी अनुशंसा दिशानिदेश, 2021 के रूप में कार्य करेंगे।	15	483
2	30.12.21	दिवाला व्यावसायिक अंतरिम समाधान व्यावसायिक, समापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी अनुशंसा द्वितीय दिशानिदेश, 2021 के रूप में कार्य करेंगे।	15	888

क्षमता निर्माण

4.9 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आईबीबीआई ने आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के लाभ के लिए कई क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनका विवरण इस रिपोर्ट के खंड ग.3 में प्रस्तुत किया गया है।

सतत व्यावसायिक शिक्षा (सीपीई)

4.10 आईपी विनियमों में प्रावधान है कि आईपी को अपना रजिस्ट्रीकरण वैध रखने के लिए सीपीई से गुजरना होगा। आईपी द्वारा अर्जित सीपीई घंटों का विवरण सारणी 13

[1] इसका गठन 15 सितंबर, 2017 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। कार्यकाल पूरा होने के बाद समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया था।

में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 13: 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार आईपी द्वारा अर्जित सीपीई घंटे

अवधि	के सदस्यों द्वारा अर्जित सीपीइई घंटों की संख्या			
	आईआई आईपीआई	आईसीएसआ. ईआईआईपी	आई पी ए आई सी ए आई	कुल
2019 - 20	1160	695	320	2175
2020 - 21	18465	8746	4647	31858
2021 - 22	14123	7890	3872	25885
कुल	33748	17331	8839	59918
प्रति रजिस्ट्री आईपी औसत सीपीई घंटे	13.29	15.35	23.44	-

सीमित दिवाला परीक्षा

4.11 आईबीबीआई सीमित दिवाला परीक्षा परीक्षा के पाठ्यक्रम, प्रारूप आदि को प्रकाशित करता है और इसे प्रासंगिक और बाजार की गतिशीलता के अनुरूप रखने के लिए निरंतर आधार पर इसकी समीक्षा करता रहता है। परीक्षा 31 दिसंबर 2016 को शुरू हुई थी।

4.12 2021-22 के दौरान कुल 1622 अभ्यर्थियों ने 3148 नामांकन किए। इन 1622 अभ्यर्थियों में से 1248 परीक्षा में शामिल हुए और कुल 2404 प्रयास किए, जिनमें से 416 प्रयास 17.3 प्रतिशत प्रयास या 33.3 प्रतिशत अभ्यथद्र सफल रहे। इनमें से 33 पूवद्र जोन से, 162 उत्तरी जोन से, 94 पश्चिम जोन से और 127 दक्षिण जोन से हैं।

मूल्यांकन परीक्षा

4.13 आईबीबीआई ने 31 मार्च 2018 को तीन आस्ति वर्गों (क) भूमि और भवन, (ख) संयंत्र और मशीनरी, और (ग) प्रतिभूतियों या वित्तीय आस्तियों के लिए मूल्यांकन परीक्षा शुरू की। 2021-22 में मूल्यांकन परीक्षाओं का सारांश सारणी 14 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 14 : 2021-22 में मूल्यांकन परीक्षाओं का सारांश (संख्या)

क्र. सं.	आस्ति वर्ग	रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी	कुल रजिस्ट्री. करण	प्रयास करने वाले अभ्यर्थी	कुल प्रयास	सफल प्रयास
1.	भूमि और भवन	1393	3678	1254	3122	202
2.	कार्यशाला एवं यंत्र	305	902	274	754	58
3.	प्रतिभूतियां या वित्तीय आस्तियां	1502	4102	1214	2881	259

रजिस्ट्रीकरण देने से इंकार

4.14 आईबीबीआई ने 2021-22 में क्रमशः आईपी के लिए 3 आवेदकों और आरवी के लिए 1 आवेदक को रजिस्ट्रीकरण देने से इनकार कर दिया। इसने 2021-22 में पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने पर 1 आरवी का रजिस्ट्रीकरण, 1 आरवी का निलंबित रजिस्ट्रीकरण और 2 आईपीई को रद्द कर दिया।

आईयू के साथ जानकारी का विवरण

4.15 31 मार्च, 2022 के अंत तक आईयू के पास उपलब्ध सूचना का विवरण सारणी 15 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 15 : एनईएसएल के पास उपलब्ध जानकारी का विवरण

(संख्या, बताए गए को छोड़कर)

वर्ष/ माह के अंत में	एनईएसएल के साथ सहमति रखने वाले लेनदार		लेनदार जिन्होंने सूचना प्रस्तुत कर दी है		देनदार जिनकी सूचना निम्न द्वारा प्रस्तुत की गई है		द्वारा ऋण अभिलेख ऑन-बोर्ड किए गए		शेष ऋण की राशि (करोड़ रुपये में)		प्रयोक्ता रजिस्ट्रीकरण (देनदार)	देनदारों द्वारा अधिप्रमाणित किए गए ऋण अभिलेख		देनदा. रों द्वारा प्रमाणित चूकों की संख्या
	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	देनदारों की संख्या	अभिलेखों की संख्या	मूल्य करोड़ रूपये में	
2018 - 19	173	एनऐ	114	169	1266445	230	1955230	316	4114988	16224	15148	13799	48,428	54
2019 - 20	267	एनऐ	381	543	6551739	6191	9417317	167719	7873689	31910	73332	109726	118428	240075
2020 - 21	289	एनऐ	621	675	8988348	9066	14565545	292206	13195075	36770	139980	283839	499957	442584
2021 - 22	347	एनऐ	692	779	9494394	3312	14039325	185166	14539538	42894	241753	514932	682369	299584

शिकायतें और परिवाद

4.16 31 मार्च, 2022 तक शिकायतों एवं परिवादों की प्राप्ति एवं निस्तारण का विवरण सारणी 16 में दिया गया है।

सारणी 16 : 31 मार्च, 2022 तक शिकायतों एवं परिवादों की प्राप्ति एवं निस्तारण

वर्ष	प्राप्त हुई शिकायतें और परिवाद						कुल		
	विनियमों के अधीन		सीपीजीआरएएम/पीएमओ/ एमसीए/ अन्य प्राधिकरण के माध्यम से		अन्य माध्यमों से		प्राप्त हुए	निपटाए गए	परीक्षाधीन
	प्राप्त हुए	निपटाए गए	प्राप्त हुए	निपटाए गए	प्राप्त हुए	निपटाए गए			
2017 - 2018	18	0	6	0	22	2	46	2	44
2018 - 2019	111	51	333	290	713	380	1157	721	480

वर्ष	प्राप्त हुई शिकायतें और परिवाद						कुल		
	विनियमों के अधीन		सीपीजीआरएएम/पीएमओ/ एमसीए/ अन्य प्राधिकरण के माध्यम से		अन्य माध्यमों से		प्राप्त हुए	निपटाए गए	परीक्षाधीन
	प्राप्त हुए	निपटाए गए	प्राप्त हुए	निपटाए गए	प्राप्त हुए	निपटाए गए			
2021 - 2022	276	279	574	570	611	784	1461	1633	189
कुल	826	767	1510	1465	3604	3519	5940	5751	189

4.17 यह देखा गया है कि 85.19 प्रतिशत प्रक्रियाओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायतों के मामले में शीर्ष 10 प्रक्रियाओं में कुल शिकायतों का 51.97 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि शेष में 48.03 प्रतिशत शिकायतें हैं।

4.18 यह देखा गया है कि 72.99 प्रतिशत आईपी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जिन्होंने कोई प्रक्रिया की है। शिकायतों के मामले में शीर्ष 10 आईपी में कुल शिकायतों का 52.44 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि शेष में 47.56 प्रतिशत शिकायतें हैं। यह देखा गया है कि ज्यादातर शिकायतें सीडी के प्रवर्तकों और निदेशकों से प्राप्त होती हैं, जबकि अधिकांश शिकायतें घर खरीदारों से प्राप्त होती हैं।

निरीक्षण और अन्वेषण

4.19 बोर्ड द्वारा किए गए आईपी के निरीक्षणों का विवरण सारणी 17 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी-17 : आईबीबीआई द्वारा आयोजित किए गए आईपी के निरीक्षण

(संख्या)

निरीक्षण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आदेश दिए गए	2	10	55	62	106
पूरे किए गए	0	3	27	53	54
जारी	2	9	37	46	98

आईबीबीआई द्वारा अभियोजन कार्रवाई

4. 2021-22 में 7 मामलों में न्यायालयों ने संज्ञान लिया था। वर्ष के दौरान, विशेष न्यायालयों ने आईबीबीआई द्वारा फाइल शिकायतों के आधार पर अपराधों का संज्ञान लिया, जिसमें सारणी 18 में प्रस्तुत संहिता के उपबंधों के उल्लंघन के लिए कई व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।

सारणी 18 : आईबीबीआई द्वारा की गई अभियोजन संबंधी कार्रवाई

क्र.सं.	शिकायत विवरण	विशेष न्यायालय	उल्लंघन
1.	आईबीबीआई बनाम विशेष गोयल और अन्य सीसी/964/2021	द्वारका	केल्विन रिक्रूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशकों का धारा 68(प), 70(1)(क), 70(1)(ख), 70(1)(ग), 70(1)(ड़) और 235क के अधीन असहयोग
2.	आईबीबीआई बनाम ओम प्रकाश राजगढ़िया और अन्य। सीसी/796/2021 सीसी/1092/2021	द्वारका	ओवरनाइट एक्सप्रेस लिमिटेड के पूर्व निदेशकों का धारा 70(1)(क), (ख), (ग), 74(1) और 235क के अधीन असहयोग
3.	आईबीबीआई बनाम कृष स्टील एंड ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड और अन्य।	द्वारका	संहिता की धारा 31(1), 74(3) और 235क के अधीन टेक्प्रो "स्टम लिमिटेड द्वारा आईआरपी में समाधान योजना का पालन न किया जाना
4.	आईबीबीआई बनाम अंबिका प्रसाद और अन्य सीसी/1092/2021	द्वारका	होराइजन बिल्डकॉन प्रा. लिमिटेड के पूर्व निदेशकों का संहिता की धारा 70(1)(ख) और 70 (1)(ग) के साथ पठित धारा 19(1), 34(3) धारा 235क के अधीन असहयोग।
5.	आईबीबीआई बनाम प्रियंका चहल और अन्य सीसी/1249/2021	द्वारका	चहल परिवहन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशकों का संहिता की धारा 68, 70 और 235क के अधीन असहयोग।
6.	आईबीबीआई बनाम जसजीत सिंह साहनी एवं अन्य सीसी/875/2021	द्वारका	नेट 4 इंडिया लिमिटेड के पूर्व निदेशकों का संहिता की धारा 235क के साथ पठित धारा 68(i)(क), 69, 70 और 19(1) के अधीन असहयोग।
7.	आईबीबीआई बनाम पीयूष तिवारी एवं अन्य सीसी/1380/2021	द्वारका	किंडल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशकों का संहिता की धारा 235क के साथ पठित धारा 70, 73(ख) और 19(1) के अधीन असहयोग

अर्ध-न्यायिक कार्य

4.21 आईबीबीआई और आईपीए अड़ियल सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते हैं। आईबीबीआई द्वारा 2021-22 के दौरान आईपी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण सारणी 19 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 19 : आईपी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करना और उनका निपटान करना (संख्या)

कारण बताओ नोटिस	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
जारी किए गए	4	9	14	50	23
निपटाए गए	0	11	7	48	16
शेष	4	2	09	11	18

4.22 डीसी ने 2021-22 के दौरान 16 अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी की और आदेश जारी किए।

सारणी 20 : 2021-22 में अनुशासनात्मक कार्यवाही को बंद करना

क्रम. सं.	आदेश की तारीख	आईपी का नाम	लगाया गया जुर्माना
1.	16-04-2021	वी. नागराजन	कोई निर्देश नहीं।
2.	09-06-2021	राजमल लाभचंद मोगरा	कोई निर्देश नहीं।
3.	08-07-2021	अनुपम तिवारी	एक वर्ष के लिए निलंबन।
4.	20-07-2021	प्रभजीत सिंह सोनी	30 दिनों के लिए निलंबन।
5.	22-07-2021	मनीष कुमार गुप्ता	बारह माह का निलंबन एवं सीआईआरपी के दौरान श्री अजय सिघल को प्रदत्त शुल्क के बराबर जुर्माना।
6.	09-08-2021	कुमुदिनी परांजपे	स्वैच्छिक परिसमापन के छह असाइनमेंट में प्राप्त शुल्क के दस प्रतिशत के बराबर जुर्माना देना और पूर्व-रजिस्ट्रीकरण शैक्षिक पाठ क्रम करना।
7.	27-08-2021	प्रमोद कुमार शर्मा	छह माह का निलंबन।
8.	17-09-2021	चारु संदीप देसाई	चेतावनी दी गई
9.	25-11-2021	पवन कुमार गर्ग	कोई निर्देश नहीं।
10.	07-12-2021	फणेन्द्र हरकचंद मुनोत	कोई निर्देश नहीं।
11.	09-12-2021	जसवंत सिंह	85,000/- रुपये के बराबर जुर्माना देना होगा।
12.	29-01-2021	विमल कुमार ग्रोवर	संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकरण को रद्द करना और एक वर्ष के लिए नए रजिस्ट्रीकरण की मांग या कोई सेवा प्रदान करने से बेदखल करना।
13.	10-02-2022	अनिल गोयल	कोई निर्देश नहीं।
14.	14-03-2022	रीता गुप्ता	एक वर्ष के लिए निलंबन।
15.	22-03-2022	उमेश गर्ग	कोई निर्देश नहीं।
16.	31-03-2022	राजीव चक्रवर्ती	14,57,193/- रुपये की सीआईआरपी-पूर्व लागत प्राप्त करने की व्यवस्था करके सीडी के खाते में जमा करना और एक वर्ष के लिए निलंबन।

ड. परिणामों का विश्लेषण

5.1 यह खंड आरपी द्वारा प्रदान किए गए डेटा का उपयोग करते हुए, दिवाला कार्यवाही के परिणामों के आधार पर 2021-22 के दौरान मुख्य परिणाम प्रस्तुत करता है। यह उन महत्वपूर्ण मामलों की सूची भी प्रस्तुत करता है जिनमें विवादास्पद मुद्दों को सुलझा लिया गया है। संहिता के अन्य परिणामों को इस रिपोर्ट के अन्य खंडों में वैंणत किया गया है।

प्रक्रियाओं का सारांश

5.2 मार्च, 2022 के अंत तक प्रक्रियाओं का सारांश - सीआईआरपी, कारपोरेट परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन सारणी 21 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 21 : सीआईआरपी, परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन प्रविळयाओं का सारांश (संख्या, यथा-कथित को छोड़कर)

स्वीकृत किए गये, बंद किए गए और चले सीआईआरपी मामले		
	31 मार्च, 2022 तक	2021-22 में
स्वीकार किए गए सीआईआरपी मामलों की कुल संख्या	5258	834
बंद किए गए कुल सीआईआरपी मामले	3406	608
अपील/समीक्षा/निपटान/अन्य द्वारा बंद की गई	731	52
धारा 12क के अधीन निकासी	586	112
समाधान योजना का अनुमोदन	480	125
परिसमापन की शुरुआत	1609	319
चल रहे सीआईआरपी	1852	226
समाधान में समाप्त होने वाले सीआईआरपी		
समाधान में समाप्त होने वाले मामलों की संख्या	480	125
लगा समय:		
0-180 दिन	6	0
181-270 दिन	39	0
270+ दिन	435	125
औसत दिन	528	711
कुल स्वीकृत दावे करोड़ रुपये में	760598	209291
एफसी के स्वीकृत दावे	684901	195231
ओसी के स्वीकृत दावे	75697	14060
वसूली योग्य कुल राशि करोड़ रुपये में	234049	47030
एफसी द्वारा वसूली योग्य राशि	225294	46759
ओसी द्वारा वसूली योग्य राशि	8755	271
स्वीकृत दावों के % के रूप में दावेदारों द्वारा वसूली योग्य कुल राशि	30.77	22.47
एफसी द्वारा उनके स्वीकृत दावों के % के रूप में वसूली योग्य राशि	32.89	23.95
ओसी द्वारा उनके स्वीकृत दावों के % के रूप में वसूली योग्य राशि	11.57	1.93
परिसमापन मूल्य करोड़ रुपये में	131448	36922
परिसमापन मूल्य के % के रूप में दावेदारों द्वारा वसूली योग्य कुल राशि	178.05	127.38
मामलों की संख्या जहां वसूली परिसमापन मूल्य से कम है	103	34
समाधान मामलों में बीआईएफआर / निष्क्रिय कंसर्न	159	36
परिसमापन में समाप्त होने वाले सीआईआरपी		
परिसमापन में समाप्त होने वाले मामलों की संख्या	1609	319
समय लिया :		
0-180 दिन	130	6
181-270 दिन	331	20
270+ दिन	1148	293
औसत दिन	412	654
कुल दावा : करोड़ रुपये में	795836	145003
एफसी के दावे	715005	125232
ओसी के दावे	80831	19771
परिसमापन मूल्य करोड़ रुपये में	56196	10654

स्वीकृत किए गये, बंद किए गए और चले सीआईआरपी मामले		
	31 मार्च, 2022 तक	2021-22 में
कुल स्वीकृत दावों के % के रूप में परिसमापन मूल्य		
ऐसे मामलों की संख्या जिनमें समाधान योजना योजनाएं प्राप्त हुई हैं लेकिन स्वीकृत नहीं हुई हैं	377	77
स्वैच्छिक परिसमापन		
वर्ष की शुरुआत में स्वैच्छिक परिसमापन	.	511
शुरू किया गया	1223	281
वापस लिया गया	12	3
अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई	644	222
जारी	567	567
परिहार लेनदेन		
आरपी द्वारा फाइल किए गए अनियमित लेनदेन के संबंध में आवेदनों की संख्या	777	105
निस्तारित आवेदनों की संख्या	71	10
अनियमित लेनदेन के संबंध में आवेदनों में शामिल राशि करोड़ रुपये में	220661	33819
परिहार आवेदनों से प्राप्त राशि (करोड़ रुपये में)	49.44*	5.32

** इसके अलावा, जेपी इंफ्रा के मामले में, कुल 858 एकड़ भूमि में से 758 एकड़ का कब्जा सीडी को वापस दे दिया गया। पहले 858 एकड़ जमीन की कीमत 5500 करोड़ रुपये थी।*

बारह बड़े खाते

5.3 आरबीआई के निर्देशानुसार 12 बड़े खातों का समाधान बैंकों द्वारा शुरू किया गया। उन पर 3.45 लाख करोड़ रुपये के परिसमापन मूल्य के मुकाबले एक साथ 73,220 करोड़ रुपये का बकाया दावा था। 31 मार्च, 2022 तक 12 बड़े खातों की स्थिति सारणी 22 में प्रस्तुत की गई है।

सारणी 22 : 12 बड़े खातों की स्थिति (राशि करोड़ रुपये में)

कारपोरेट देनदार का नाम	समाधान के अधीन निपटाए गए वित्तीय लेनदारों के दावे			परिसमापन के : के रूप में सभी दावेदारों द्वारा वसूली मूल्य	समाधान आवेदक
	फाइल की गई राशि	वसूली गई राशि	दावों के प्रतिशत के रूप में वसूली		
इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड	13175	5320	40.38	183.45	वेदांत लिमिटेड
भूषण स्टील लिमिटेड	56022	35571	63.50	252.88	बमनीपाल स्टील लिमिटेड
मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड	11015	2892	26.26	123.35	जेएसडब्ल्यू और एआईओएन इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का कंसौंटयम।
एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड	49473	41018	82.91	266.65	आर्सेलर मित्तल इंडिया प्रा. लिमिटेड
आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	29523	5052	17.11	115.39	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जेएमएफएआरसी - मार्च 2018 ट्रस्ट
ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड	7365	3691	50.12	387.44	श्री शरद सांघी के नेतृत्व में एचएनआई का समूह।
भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड	47158	19350	41.03	209.12	जेएसडब्ल्यू लिमिटेड
एमटेक ऑटो लिमिटेड	12641	2615	20.68	169.65	डे न वैल्यू इन्वेस्टर्स एल.पी. और डीवीआई पीई (मॉरीशस) लिमिटेड
जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड	सीआईआरपी से गुजरना				
एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड	सीआईआरपी से गुजरना				
लैंको इंफ्राटेक लिमिटेड	परिसमापन से गुजरना				
एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड.	परिसमापन से गुजरना				

वित्तीय सेवा प्रदाताओं का समाधान

5.4 दीवान हाउसंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करने के लिए आरबीआई द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर, एए ने 3 दिसंबर, 2019 को आवेदन स्वीकार किया। श्री आर सुब्रमण्यकुमार को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह दिवाला और शोधन अक्षमता वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन नियम, 2019 के अधीन समाधान के लिए स्वीकार किया गया पहला वित्तीय सेवा प्रदाता एफआईएसपी था,

जिसे 15 नवंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था। एए, के माध्यम से 7 जून, 2021 के आदेश ने पिरामल कैपिटल एंड हाउसंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को स्वीकृति प्रदान की। समाधान का विवरण सारणी 23 में प्रस्तुत किया गया है।

5.5 इसके बाद तीन एफआईएसपी नामत: श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के लिए सीआईआरपी शुरू की गई हैं और अभी जारी हैं।

सारणी 23 : डीएचएफएल के समाधान का विवरण

(राशि करोड़ रुपये)

समाधान के अधीन निपटाए गए वित्तीय लेनदारों के दावे				समाधान आवेदक
स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	वसूली के रूप में दावों का प्रतिशत	परिसमापन मूल्य के प्रतिशत के रूप में वसूली	
87247.68	37167.00	42.60%	138.42%	पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

व्यैक्तिक प्रक्रियाएं

5.6 पीजी से सीडी से संबंधित दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता से संबंधित प्रावधान 1 दिसंबर, 2019 को लागू हुए। आईपी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक 926 आवेदन फाइल किए गए हैं। विवरण सारणी 24 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 24: व्यैक्तिक प्रत्याभूतिदाताओं का दिवाला समाधान

(राशि करोड़ रुपये में)

अवधि	आवेदनों की संख्या की शुरूआत में फाइल अवधि	फाइल किए गए आवेदनों की संख्या	आरपी की नियुक्ति के पहले		उन मामलों की संख्या जहां आरपी नियुक्त किए गए हैं	आरपी की नियुक्ति के बाद		मामलों की संख्या
			वापस लिए गए आवेदनों की संख्या	निरस्त/अस्वीकार किए गए आवेदनों की संख्या		मामलों की संख्या	निरस्त/अस्वीकार किए गए आवेदनों की संख्या	
2019 – 20	0	19	0	0	0	0	0	0
2020 – 21	19	209	6	1	22	2	1	9
अप्रैल-जून, 2021	187	93	3	0	0	0	0	0
जुलाई-सितंबर,0 2021	277	270	6	2	78	0	0	2
अक्तूबर-दिसंबर, 2021	459	204	2	0	42	0	0	4
जनवरी-मार्च, 2022	615	131	3	7	97	0	3	9
कुल	NA	926	20	10	239	2	4	24

उभरती न्याय-प्रणाली

5.7 न्यायपालिका ने कई वैचारिक और विवादास्पद मुद्दों को सुलझाया है, और कई ऐतिहासिक आदेश और निर्णय दिए हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि संहिता के अधीन भविष्य के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। सारणी 25 में 2021-22 के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी 25 : उभरती न्याय-प्रणाली का सारांश, 2021-22

क्रम. सं.	उक्ति	उद्धरण	मंच
	संवैधानिक वैधता		
1.	सीडी में पीजी से संबंधित उपबंधों को लागू करने वाली अधिसूचना कानूनी और वैध है।	ललित कुमार जैन बनाम भारत संघ और अन्य। (अंतरित मामला सिविल संख्या 245/2020 और अन्य रिट याचिकाएं)	उच्चतम न्यायालय
	स्वच्छ स्लेट सिद्धांत		
2.	केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार, या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय सांविधिक बकाया राशि सहित सभी बकाया, यदि समाधान योजना का हिस्सा नहीं है, तो समाप्त हो जाएंगे और ऐसे बकाया के संबंध में उस तारीख, जब एए धारा 31 के अधीन अपनी स्वीकृति प्रदान करता है, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।	घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाम एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के निदेशक और अन्य के माध्यम से। (अन्य अपीलों के साथ 2019 का सीए नंबर 8129)	उच्चतम न्यायालय
	वित्तीय लेनदार		
3.	बैंक/वित्तीय संस्थान जिन्होंने गृह खरीदारों को ऋण प्रदान किए है, वे एफसी नहीं हैं।	एक्सिस बैंक लिमिटेड बनाम वैल्यू इंफ्राकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य सीए (एटी इन्स संख्या 52/2020 में आई.ए. संख्या 2020 का 1502 और आई.ए. संख्या 2020 का 1503)	एनसीएलएटी
	प्रचालनात्मक ऋण		
4.	ऐसा ऋण जो माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए किए गए अग्रिम भुगतान से उत्पन्न होता है, परिचालन ऋण है।	समेकित निर्माण कंसोर्टियम लिमिटेड बनाम हिट्रो एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (सिविल अपील संख्या 2020 का 2839)	उच्चतम न्यायालय

क्रम. सं.	उक्ति	उद्धरण	मंच
		प्रारंभिक सीमा	
5.	जहां व्यतिक्रम 1 करोड़ रुपये से कम है, उसके संबंध में 24.03.2020 के बाद कोई आवेदन फाइल नहीं किया जा सकता है।	थरकन वेब इनोवेशन प्रा. लिमिटेड बनाम एनसीएलटी कोच्चि पीठ और अन्य (2020 का डब्ल्यूपीआई संख्या 27636 और डब्ल्यूपीआई संख्या 14158/2021)	उच्च न्यायालय
		स्पैक्ट्रम	
6.	स्पेक्ट्रम दिवाला/परिसमापन कार्यवाही के अध्यधीन हो सकता है; और इसका उपयोग अपेक्षित देय राशि के भुगतान के बिना नहीं किया जा सकता है जिसे सीआईआरपी की शुरुआत करके समाप्त नहीं किया जा सकता है।	भारत संघ बनाम विजयकुमार वी. अेंयर (सीए एटी दिवाला संख्या 733/2020)	एनसीएलएटी
		एए का न्यायाधिकार	
7.	संहिता एए पर इक्विटी आधारित न्यायाधिकार प्रदान नहीं करती है।	प्रताप टेक्नोक्रेट्स प्रा. लिमिटेड और अन्य बनाम रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड और अन्य की निगरानी समिति (सीए संख्या 676/2021)	उच्चतम न्यायालय
8.	एए के पास संविदात्मक विवाद पर विचार करने के लिए कोई अवशिष्ट न्यायाधिकार नहीं है जो सीडी के दिवाला का विरोध करता है।	टाटा कंसल्टेंसी सैंवसेज लिमिटेड बनाम विशाल घिसुलाल जैन, समाधान व्यावसायिक, एस.के. व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड (सीए संख्या 3045/2020)	उच्चतम न्यायालय
9.	एए/एनसीएलएटी समाधान को प्रोत्साहित कर सकता है लेकिन इक्विटी न्यायालय के रूप में कार्य करके पक्षों को निदेशित नहीं कर सकता।	ई. एस. कृष्णमूर्ति और अन्य बनाम मेसर्स भारत हाई टेक बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड (सीए संख्या 3325/2020)	उच्चतम न्यायालय
		समाधान योजना	
10.	समाधान योजना को सीओसी द्वारा अनुमोदित और एए को प्रस्तुत किए जाने के बाद, एसआरए समाधान योजना को वापस नहीं ले सकता/संशोधित नहीं कर सकता है।	एबिक्स सगापुर प्राइवेट लिमिटेड बनाम एज्यूकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड और अन्य की लेनदार समिति (2020 का सीए संख्या 3224 और अन्य अपीलें)	उच्चतम न्यायालय
		संहिता के अधीन समय-सीमा	
11.	संहिता में निर्धारित समय से अधिक अपील फाइल करने में देरी को संविधान के अनुच्छेद 142 के अप्रत्यक्ष सहारा के माध्यम से माफ नहीं किया जा सकता है।	नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड बनाम डूनर फूड्स लिमिटेड के लिए श्री अनिल कोहली, आरपी (सीए संख्या 6187/2019)	उच्चतम न्यायालय
12.	परिसमापन प्रक्रिया विनियम, 2016 के विनियम 47 के अधीन समयसीमा निर्देशिका है।	प्रकाश चंद्र कपूर और अन्य। बनाम विजय कुमार अेंयर, परिसमापक और अन्य। (सीए एटी इन्स संख्या 140/2021 में 2021 का 2484)	एनसीएलएटी
		आईआरपी/आरपी	
13.	'सक्सेस फीस' जो आकस्मिक और सट्टा प्रकृति में अधिक है, संहिता और विनियमों के प्रावधानों का हिस्सा नहीं है, और यह प्रभार्य नहीं है।	श्री जयेश एन संघराजका, एरिस्टो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व आर.पी. बनाम एरिस्टो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीओसी द्वारा नामित अनुश्रवण अभिकरण (सीए एटी दिवाला संख्या 392/2021)	एनसीएलएटी
14.	आईबीबीआई पूरी तरह से आरपी/आईआरपी के पारिश्रमिक के भुगतान को विनियमित करने या कार्यकारी निदेश जारी करके दोनों को विनियमित करने के अधिकार क्षेत्र में है।	सुमित बंसल, दिवाला व्यावसायिक, बनाम. जेपी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों की समिति और अन्य (कॉम्प. अनुप्रयोग। एटी इंस. संख्या 160/2022)	एनसीएलएटी
		सीमा अधिनियम बनाम संहिता	
15.	संहिता के अधीन अपील फाइल करने की सीमा अवधि आदेश की घोषणा की तारीख से शुरू होती है।	वी नागराजन बनाम. एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड और अन्य (सीए संख्या 3327/2020)	
		कर देयताओं के साथ संहिता का इंटरफेस	
16.	समाधान योजना द्वारा कवर की गई अवधि के लिए, आईटी विभाग सीडी के संबंध में कोई जांच/मूल्यांकन नहीं कर सकता है।	सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और दो अन्य (रिट याचिका संख्या 25827/2019)	उच्च न्यायालय
17.	जीएसटी राशि को स्वयं आरपी द्वारा संपादित या कम नहीं किया जा सकता है।	बिजॉय प्रभाकरन पुलिप्रा, आरपी पीवीएस मेमोरियल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड बनाम राज्य कर अधिकारी (कार्य अनुबंध सीए एटी सीएच इन्स संख्या 42/2021)	एनसीएलएटी
		सीओसी की वाणिज्यिक बुद्धिमता	
18.	बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के सीओसी के व्यावसायिक ज्ञान को सर्वोपरि दर्जा दिया गया है।	नगतलांग धर बनाम पन्ना प्रगति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (सीए संख्या 2020 का 3665-3666)	उच्चतम न्यायालय
19.	सीओसी द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय जो संहिता के मूल को क्षति पहुंचाता है, उसे व्यावसायिक ज्ञान की आड़ में बरकरार नहीं रखा जा सकता है।	63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पूर्व में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के रूप में ज्ञात बनाम डीएचएफएल और अन्य के प्रशासक (सी.ए. एटी दिवाला संख्या 454, 455 और 750/2021)	एनसीएलएटी

क्रम. सं.	उक्ति	उद्धरण	मंच
	एए की अवमानना शक्तियां		
20.	संहिता के अधीन मामलों के लिए अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति एए के पास निहित है।	शैलेंद्र सिंह बनाम निशा मालपानी और अन्य (सीए एटी इन्स संख्या 945/2020)	एनसीएलएटी
	धारा 29ए (ज)के अधीन अपात्रता		
21.	एक बार जब कोई व्यक्ति सीडी द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के लिए लेनदार के पक्ष में गारंटी निष्पादित करता है, और मामला स्वीकार कर लिया गया है, और गारंटी लागू होने के बाद, निर्धारित योग्यता पात्रता निश्चित रूप से चलन में आ जाएगी।	बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य। बनाम एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य (सीए संख्या 8411/2019)	उच्चतम न्यायालय
	कारपोरेट देनदारों के लिए व्यैक्तिक प्रत्याभूतिदाता		
22.	सीडी से संबंधित समाधान योजना की मंजूरी से सीडी के प्रति पीजी की देनदारियों का निर्वहन नहीं होता है।	ललित कुमार जैन बनाम. भारत संघ और अन्य (अंतरित मामला सिविल संख्या 245/2020 और अन्य रिट याचिकाएं)	उच्चतम न्यायालय
23.	पीजी से सीडी के दिवाला के लिए आरबीआई के जानबूझ कर किए गए व्यतिक्रम संबंधी दिशानिदेशों के अधीन और संहिता की धारा 95 के अधीन आगे की कायवाही करने पर कोई रोक नहीं है।	आदर्श झुनझुनवाला बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य (डब्ल्यूपी 1548/2021)	उच्च न्यायालय
24.	पीजी के विरुद्ध दिवाला समाधान योजना शुरू करने के लिए सीडी के विरुद्ध सीआईआरपी पूर्व-आवश्यकता नहीं है।	भारतीय स्टेट बैंक बनाम महेंद्र कुमार जाजोदिया (डब्ल्यूपी सीए एटी दिवाला संख्या 60/2021)	एनसीएलएटी

च संहिता का प्रभाव

6.1 इस खंड में सेवा प्रदाताओं और प्रक्रियाओं के संबंध में संहिता के कार्यान्वयन के परिणामों के संदर्भ में, कंपनियों और हितधारकों पर प्रक्रियाओं के परिणामों और दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों, अर्थात लेनदारों वित्तीय और परिचालन, सीडी, और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था पर इसके दूरगामी प्रभाव प्रस्तुत किए गए हैं।

6.2 संहिता के अधीन प्रक्रियाओं के व्यापक परिणाम नीचे दिए गए हैं:

(क) संहिता का प्राथमिक उद्देश्य संकट में सीडी के जीवन को बचाना है। संहिता ने मार्च, 2022 तक समाधान योजनाओं के माध्यम से 480 सीडी को बचाया है, जिनमें से एक तिहाई गहरे संकट में थीं, जब वे सीआईआरपी की प्रक्रिया में शामिल हुई थी। हालांकि, इसने परिसमापन के लिए 1609 सीडी को संदर्भित किया है। बचाई गई सीडी में 1.31 लाख करोड़ रुपये की आस्तियां थी, जबकि जब उन्हें सीआईआरपी में शामिल किया गया था, परिसमापन के लिए संदर्भित सीडी में 0.56 लाख करोड़ रुपये की आस्तियां थी। इस प्रकार, मूल्य के संदर्भ में, लगभग 70 प्रतिशत संकटग्रस्त आस्तियों को बचाया गया। परिसमापन के लिए भेजी गई सीडी में से तीन-चौथाई या तो बीमार थीं या निष्क्रिय थीं और बचाई गई फर्मों में से एक तिहाई या तो बीमार थीं या निष्क्रिय थीं।

(ख) बचाए गए 480 सीडी के साथ उपलब्ध आस्तियों का वसूली योग्य मूल्य, जब उन्होंने सीआईआरपी में प्रवेश किया, केवल 1.31 लाख करोड़ रुपये था, हालांकि उन पर लेनदारों के 7.61 लाख करोड़ रुपये बकाया थे। समाधान योजनाओं से 2.34 लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई, जो इन सीडी के परिसमापन मूल्य का लगभग 178 प्रतिशत है। वसूली या परिसमापन के किसी अन्य विकल्प से 100 रुपये की वसूली होती जिसमें से परिसमापन की लागत को घटाना पड़ता, जबकि लेनदारों ने संहिता के अधीन 178. रुपये की वसूली की जिससे 78 रुपये की अतिरिक्त वसूली संहिता का बोनस है। हालांकि संहिता के अधीन वसूली अनुषंगी है, एफसी ने अपने दावों का 32.89 प्रतिशत वसूल किया, जो केवल सीडी के सीआईआरपी में प्रवेश करने तक मूल्य क्षरण की सीमा को दर्शाता है, फिर भी यह वसूली के लिए लेनदारों के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों में सबसे अच्छा है। समाधान योजनाएं औसतन सीडी के उचित मूल्य का 83 प्रतिशत प्राप्त कर रही हैं। इन वसूलियों में ऐसी वसूलियां शामिल नहीं हैं जो समाधान के बाद इक्विटी होल्डिंग्स के मूल्य, पीजी के सीडी में समाधान, और परिहार लेनदेन के लिए आवेदनों के निपटान से उत्पन्न होंगी।

(ग) परिसमापन के आदेशों में समाप्त होने वाली 1609 सीडी का कुल दावा 7.95 लाख करोड़ रुपये था। हालांकि, उनके पास जमीन पर आस्तियां थी, जिनका मूल्य केवल 0.56 लाख करोड़ रुपये था। 328 सीडी को मार्च, 2022 तक पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। आईबीसी प्रक्रिया में प्रवेश करने पर इनमें से कई सीडी के पास कोई सेवा या आस्ति नहीं थी। इनमें घोटारिंगा मिनरल्स लिमिटेड और ऑर्किड हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं, जिन पर 8,163 करोड़ रुपये का ऋण, था, जबकि उनके पास कोई आस्ति और रोजगार नहीं था। इन 328 सीडी पर कुल मिलाकर 66,381.23 करोड़ रुपये बकाया थे जिनकी आस्तियों का मूल्य 2804.01 करोड़ रुपये था, इन कंपनियों के परिसमापन के माध्यम से 2696.77 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

(घ) व्यथित आस्ति का जीवन चक्र होता है। यदि समय पर संकट का समाधान नहीं किया गया तो इसका मूल्य समय के साथ धीरे-धीरे कम होता जाता है। संहिता के इस विश्वसनीय खतरे ने देनदारों के व्यवहार को बदल दिया है कि सीडी एक हाथ से दूसरे हाथ में जा सकती है। हजारों कर्जदार संकट के शुरुआती दौर में संकट का समाधान कर रहे हैं। भुगतान के लिए नोटिस प्राप्त होने पर, लेकिन आवेदन फाइल करने से पहले, आवेदन फाइल करने के बाद, लेकिन इसके प्रवेश से पहले, और आवेदन के प्रवेश के बाद भी, और समाधान प्रक्रिया के परिणामों से बचने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने पर, जब व्यतिक्रम आसन्न होता है, तो भी वे समाधान कर रहे हैं। इन चरणों में अधिकांश कंपनियों को बचाया गया है। 31 मार्च, 2022 तक, सीडी के सीआईआरपी शुरू करने के लिए 21,100 आवेदनों का मूल्य 6,09,482.17 करोड़ रुपये था जिनका सीआईआरपी शुरू करने से पहले समाधान किया जा चुका है। केवल कुछ कंपनियां, जो पहले के किसी भी चरण में संकट को दूर करने में विफल रहती हैं, पूरी समाधान प्रक्रिया से गुजरती हैं। इस स्तर पर, कंपनी का मूल्य काफी हद तक कम हो जाता है, और इसलिए उनमें से कुछ को बचाया जाता है, जबकि अन्य का परिसमापन होता है। इस स्तर पर वसूली कम हो सकती है, लेकिन संकट के शुरुआती चरणों में वसूली बहुत अधिक होती है, और यह मुख्य रूप से संहिता के कारण ही हुआ है।

(ड़) संहिता विभिन्न प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द बंद करने का प्रयास करती है। यह उनमें से कुछ के लिए समय-सीमा निर्धारित करती है। 480 सीआईआरपी, जिनमें मार्च, 2022 के अंत तक समाधान योजनाएं प्राप्त हो चुकी हैं, प्रक्रिया के समापन के लिए औसतन 450 दिन (एए द्वारा छोड़े गए समय को छोड़कर)लगे। इसी तरह, 1609 सीआईआरपी, जो परिसमापन के आदेश में समाप्त हुए, में निष्कर्ष के लिए औसतन 412 दिन लगे। इसके अलावा, 328 परिसमापन प्रक्रियाएं, जो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ बंद हो गई हैं, को बंद होने में औसतन 456 दिन लगे। इसी तरह, 644 स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाएं, जो अंतिम रिपोर्ट जमा करके बंद हो गई हैं, को बंद होने में औसतन 422 दिन लगे।

(च)31 मार्च, 2022 तक, कुल 480 सीआईआरपी में समाधान योजनाएं परिणित हो चुकी हैं। 455 सीआईआरपी के संबंध में लागत विवरण उपलब्ध हैं। लागत परिसमापन मूल्य का औसतन 1.17 प्रतिशत और समाधान मूल्य का 0.62 प्रतिशत परिगणित किया गया है।

एससीबी द्वारा एनपीए समाधान

6.3 एससीबी द्वारा एनपीए की वसूली में भी संहिता के अधिनियमन के बाद से बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला है। जैसा कि भारत में बैंश्वकग के रुझान और प्रगति पर आरबीआई की रिपोर्ट 2020-21 में उल्लेख किया गया है, भले ही संहिता के अधीन नई दिवाला कार्यवाही की शुरुआत मार्च 2021 तक एक वर्ष के लिए निलंबित कर दी गई थी और कोविड-19 संबंधित ऋण को व्यतिक्रम की परिभाषा से बाहर रखा गया था, यह वसूल की गई राशि के संदर्भ में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए वसूली के प्रमुख तरीकों में से एक रही है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एमएसएमई के लिए प्री-पैक रिज़ॉल्यूशन विंडो की अनुमति से एनसीएलटी के समक्ष लंबित मामलों के बढ़ते दबाव को कम करने, हेयरकट को कम करने और रिकवरी दरों में सुधार की उम्मीद है।

तनावग्रस्त आस्तियों की पहचान और दिवाला की शुरूआत

6.4 जैसा कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दिसंबर 2021 में उल्लेख किया गया है, आरबीआई द्वारा किए गए अध्ययन में सितंबर 2019 और सितंबर 2021 के बीच संहिता के अधीन हल की गई 60 सीडी का नमूना अध्ययन विश्लेषण शामिल है, जिसमें पता चला है कि (क) नमूना औसत वसूली दर 24.7 प्रतिशत थी और (ख) बैंकों की बैलेंस शीट पर खराब ऋण जितना अधिक समय तक रहता है, बैंक एक्सपोजर या उधारकर्ता, श्रेणी पर ध्यान दिए बिना, उतनी ही कम राशि वसूल करने में सफल होते हैं। इस अध्ययन में निहित है कि एनपीए की पहचान और सीआईआरपी के शुरू होने के बीच के अंतराल में कमी की अंतिम मात्रा/वसूली के प्रतिशत पर स्पष्ट प्रभाव हो सकता है।

6.5 इसी अध्ययन ने विभिन्न वर्गों के लेनदारों द्वारा आईबीसी के अधीन दिवाला शुरू करने के संदर्भ में औसत विलंब का भी विश्लेषण किया। इस अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि ऋणशोधन की शुरुआत में उल्लेखनीय विलंब होता है क्योंकि आस्ति पुनैंनर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा धारित आस्ति वर्गों की तुलना में लेनदारों के वर्गों (पीएसबी, पीवीबी, एनबीएफसी आदि) में असमानता है।

6.6 अध्ययन से यह भी निष्कर्ष निकला कि आय मान्यता और आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के प्रावधान काफी सीमा तक समाधान के लिए रेफरल को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, इससे आस्तियों की संभावित वसूली प्रभावित होती है क्योंकि वसूली समय व्यतीत होने के साथ तेजी से घट जाती है।

निष्कर्ष

6.7 सीआईआरपी के माध्यम से परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, निस्संदेह, यह कहा जा सकता है कि संहिता ने बेहतर वित्तीय संगठन और अनुशासन का वातावरण बनाया है और हितधारकों के व्यवहार में सुधार किया है। इसके अलावा, संहिता के अधीन तनाव के समाधान के लिए नई पहल की योजना बनाई जा रही है ताकि संहिता की प्रभावशीलता और दक्षता को और बेहतर बनाया जा सके। आने वाले समय में प्रगति दर्ज होने की संभावना है।

छ बोर्ड का कार्य-निष्पादन

7.1 संहिता की धारा 196 में आईबीबीआई की शक्तियों और कार्यों का विवरण है। यह एक अनूठा नियामक है, जो दिवाला व्यवसाय के साथ-साथ दिवाला प्रक्रियाओं सहित सेवा प्रदाताओं को विनियमित करता है। इस पर संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में आईपी, आईपीए, आईयू और अन्य संस्थानों के कामकाज और प्रथाओं के विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने का उत्तरदायित्व है। यह प्रत्येक दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रिया के बारे में प्रासंगिक डेटा और जानकारी एकत्र, व्यवस्थित और प्रसारित करता है और दिवाला और शोधन अक्षमता में अनुसंधान और अध्ययन का संचालन और प्रचार करता है। इन उत्तरदायित्वों के निर्वहन में धारा 196 में वैंणत कार्यों को पूरा करने के लिए अर्ध-विधायी, कार्यकारी और अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग विहित है। यह देश में मूल्यांककों के व्यवसाय के विनियमन और विकास के लिए कंपनी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन नियम, 2017 के अधीन 'प्राधिकरण' के रूप में भी कार्य करता है। यह प्राधिकरण के रूप में, आरवी और आरवीओ को रजिस्ट्रीकृत और नियंत्रित करता है।

7.2 2021 में, 'विकसित दिवाला परिदृश्य में नियामक के रूप में आईबीबीआई की पुनर्कल्पना' विषय पर विचार-विमर्श करते हुए, यह निर्णय लिया गया कि आईबीबीआई के नियामक प्रदर्शन का आकलन संहिता से भिन्न एकपक्षीय और सक्रिय रूप से किया जाए। तदनुसार, एनसीएईआर में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड चेयर यूनिट को आईबीबीआई द्वारा आईबीबीआई के प्रदर्शन के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया गया था। एनसीएईआर ने 29 दिसंबर, 2021 को 'भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियामक प्रदर्शन का मूल्यांकन' के बारे में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

7.3 रिपोर्ट ने आईबीबीआई का आकलन करने के लिए निम्नलिखित प्रदर्शन मूल्यांकन ढांचा निर्धारित किया है:

(i)स्तंभ I - शासन: नियामक की शासन व्यवस्था में इसकी संगठनात्मक संरचना, व्यवहार के मानक, जवाबदेही और पारदर्शिता के उपाय, आउटरीच और जुड़ाव के स्तर और आउटपुट की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया है। इन मापदंडों को तीन व्यापक शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है :

(क) शासी बोर्ड का आचरण

(ख) जवाबदेही

(ग) आउटपुट की गुणवत्ता

(ii)स्तंभ II - वैधानिक शक्तियों और कार्यों की पूर्ति: नियामक के कार्यों, जैसा कि स्थापित कानून में निर्धारित किया गया है, को पूरा किया जाना है। इस तरह की खोज में, यह आशा है कि नियामक उच्च गुणवत्ता वाली प्रक्रियाओं और विधियों को विकसित करेगा। आईबीबीआई की वैधानिक शक्तियों और कार्यों को तीन व्यापक शीर्षों नीचे के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, और उन्हें पूरा करने के लिए उपलब्ध प्रक्रियाओं/विधियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया है :

(क) कार्यकारी कार्य

(ख) अर्ध-विधायी कार्य

(ग) अर्ध-न्यायिक कार्य

(iii)संसाधन उपलब्धता

आईबीबीआई के पास संसाधनों की उपलब्धता मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन और प्रौद्योगिकी का उपयोग का मूल्यांकन किया गया है।

(iv)आईबीबीआई के बारे में हितधारकों की धारणा

नियामक के बारे में हितधारकों की धारणा को भी रिपोर्ट में प्रदर्शन को और बेहतर बनाने की अनुशंसा के साथ प्रलेखित किया गया है।

7.4 रिपोर्ट में 97 प्रदर्शन संकेतकों का सेट विकसित किया गया है जो यह दर्शाता है कि (i) क्या सांविधिक रूप से आवश्यक कार्रवाइयां पूरी की गई हैं, और (ii) अच्छी नियामक प्रथाओं सहित कानून का शासन स्थापित किया गया है। परिणाम बताते हैं कि स्तंभ I के अधीन शासन के मामले में, 25 संकेतकों में से, आईबीबीआई को 17 के संबंध में उत्कृष्ट दर्जा दिया गया है और स्तंभ II के अधीन वैधानिक शक्तियों और कार्यों की पूर्ति के संदर्भ में, 72 संकेतकों में से 58 संकेतकों के बारे में आईबीबीआई को उत्कृष्ट दर्जा दिया गया है।

7.5 रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के अधीन वैधानिक नियामक प्राधिकरणों जैसे आईबीबीआई को विशिष्ट दर्जा दिए जाने के गुण विद्यमान हैं। इससे परिचालनात्मक लचीलापन, कार्यात्मक और संसाधन स्वायत्तता सुनिश्चित होगी। इस प्रदर्शन संकेतक के अंतर्गत, रिपोर्ट में संसाधन उपलब्धता और उपयोग में सुधार के लिए चार प्रक्रिया सुधार और 10 नए हस्तक्षेपों की अनुशंसा की गई है।

निष्कर्ष

7.6 निष्कर्ष में रिपोर्ट में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है -

'संक्षेप में, आईबीबीआई ने अपने नियामक प्रदर्शन के इस मूल्यांकन की शुरुआत करके सुशासन और कानून के शासन के लिए उच्च महत्व का प्रदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त, यह भारत में अन्य नियामकों के लिए बेंचमार्क सेट करता है। इस प्रयास से व्यापक पैमाने पर, नियामक शासन में आदर्श-निर्माण में अत्यधिक योगदान मिलता है। इस मूल्यांकन के परिणामस्वरूप, प्रासंगिक, कुशल और उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय नियामक के रूप में आईबीबीआई की स्थिति की पुष्टि होती है.....'

ज शासी बोर्ड का कार्य-निष्पादन

8.1 आईबीबीआई का शासी बोर्ड जीबी इसे कार्यनीतिक दिशा प्रदान करता है और प्रबंधन को नियंत्रित और मॉनिटर करता है। आईबीबीआई (शासी बोर्ड की बैठकों के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2017 बोर्ड विनियम के साथ पठित संहिता, जीबी के व्यवसाय और उक्त व्यवसाय के लेन-देन के तरीके को निर्दिष्ट करती है।

8.2 आईबीबीआई की अर्ध-विधायी, कार्यकारी और अर्ध-न्यायिक जिम्मेदारियां हैं। अर्ध-विधायी कार्य जीबी के अनन्य कार्यक्षेत्र हैं। अर्ध-न्यायिक कार्य डीसी के अनन्य कार्यक्षेत्र हैं जिनमें डब्ल्यूटीएम शामिल हैं। कार्यकारी कार्यों को आईबीबीआई (शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन) आदेश, 2017 के अनुसार बोर्ड के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। बोर्ड विनियम बोर्ड के सदस्यों के लिए आचरण चार्टर निर्दिष्ट करते हैं। चार्टर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जीबी इस तरीके से आचरण करे जो अपने जनादेश को पूरा करने की अपनी क्षमता से समझौता न करे या अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए सदस्य (सदस्यों) की क्षमता में जनता के विश्वास को कम न करे।

शासी बोर्ड की बैठकें

8.3 2021-22 के दौरान जीबी की छह बैठकें हुईं। इन बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण सारणी 26 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 26 : शासी बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति

नाम	पद	2021-22 में बोर्ड बैठकों की संख्या	
		पदासीन रहने के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री रवि मितल	अध्यक्ष	1	1
डॉ. एम. एस. साहू	अध्यक्ष	4	4
डॉ. नवरंग सैनी	डब्ल्यूटीएम	6	6
डॉ. सुश्री मुकुलिता विजयवर्गीय	डब्ल्यूटीएम	6	6
श्री सुधाकर शुक्ला	डब्ल्यूटीएम	6	5
डॉ. शशांक सक्सेना	पदेन सदस्य	6	6
श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह	पदेन सदस्य	4	3
डॉ. राजीव मणि	पदेन सदस्य	6	4
श्री उन्नीकृष्णन ए.	पदेन सदस्य	6	6
डॉ. अनुराधा गुरु	पदेन सदस्य	1	1
श्री बी श्रीराम	अंशकालिक सदस्य	6	5
डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन	अंशकालिक सदस्य	6	2

प्रदर्शन का आकलन

8.4 आईबीबीआई के जीबी ने समीक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक कदम के रूप में, एक स्व-मूल्यांकन प्रश्नावली तैयार की। प्रश्नावली के बारे में सदस्यों के जवाबों के आधार पर, सारणी 27 में 2021-22 में जीबी के प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत किया गया है। कुल मिलाकर, जीबी ने स्वयं को प्रदर्शन मूल्यांकन के तीन आयामों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मूल्यांकित किया है, साथ ही उन विशिष्ट क्षेत्रों को भी सामने लाया है जिनमें और सुधार की आवश्यकता है।

सारणी 27 : 2021-22 में शासी बोर्ड का प्रदर्शन

आयाम	मापदंड	% प्राप्तांक	रेटिंग
बोर्ड की संरचना और गुणवत्ता	बोर्ड के सदस्यों का ज्ञान, अनुभव और कौशल बोर्ड के कार्यों और कर्तव्यों के पूरक हैं।	93	उत्कृष्ट
	हमारा संगठन कार्यनीतिक योजना या मापने योग्य लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के समूह के साथ काम करता है।	83	बहुत अच्छा
	बोर्ड के सभी सदस्यों को संगठन की दृष्टि, मिशन, इसकी कार्यनीतिक दिशा और इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय और मानव संसाधनों की स्पष्ट समझ है।	90	उत्कृष्ट
	बोर्ड ने अपने प्रत्येक प्रमुख हितधारकों के साथ संगठन के संबंधों की पहचान की है और उनकी समीक्षा की है और उनके साथ संचार का उचित स्तर है।	90	उत्कृष्ट
	बोर्ड की संरचनाएं (जैसे ऑडिट कमेटी) और प्रक्रियाएं उदाहरण के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट; कार्यनीतिक कार्य योजना बोर्ड के प्रदर्शन की प्रभावी निगरानी का समर्थन करती हैं।	97	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठकें स्वस्थ और संभावित चर्चाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बहस को प्रोत्साहित करती हैं।	100	उत्कृष्ट
	बोर्ड अपना अधिकांश समय दीर्घकालिक कार्यनीतिक और नीतिगत मुद्दों पर खर्च करता है।	80	बहुत अच्छा
	बोर्ड प्रभावी ढंग से गव१नग बोर्ड की बैठकों में शीर्ष प्रबंधन के माध्यम से अपनी कार्यनीतिक दिशा और मूल्यों का संचार करता है।	90	उत्कृष्ट
	बोर्ड आचरण के मानकों को पूरा कर रहा है और हितों के टकराव की घोषणा कर रहा है।	100	उत्कृष्ट
खंडीय : प्राप्तांक		90	उत्कृष्ट
आयाम	मापदंड	% प्राप्तांक	रेटिंग
बोर्ड की बैठकें और प्रक्रियाएं	बोर्ड पर्याप्त नियमितता के साथ मिलता है और बैठकों की आवृत्ति बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को ठीक से करने के लिए पर्याप्त है।	100	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठक का एजेंडा और संबंधित पृष्ठभूमि के कागजात संक्षिप्त हैं और मामले पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त गुणवत्ता और विवरण की जानकारी प्रदान करते हैं।	100	उत्कृष्ट
	बैठक के संबंध में सभी जानकारी सदस्यों को समय पर प्रसारित की जाती है।	100	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठकों से उत्पन्न होने वाली कार्रवाइयों का ठीक से पालन किया जाता है और बाद की बोर्ड बैठकों में समीक्षा की जाती है।	100	उत्कृष्ट

आयाम	मापदंड	% प्राप्तांक	रेटिंग
	बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त स्पष्ट, सटीक, सुसंगत और पूर्ण और समयबद्ध तरीके से अनुमोदित होते हैं।	93	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति और भागीदारी की पर्याप्तता।	100	उत्कृष्ट
	सामरिक और सामान्य मुद्दों पर चर्चा पर खर्च किया गया समय पर्याप्त है।	90	उत्कृष्ट
	यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं कि बोर्ड को बैठकों के बीच सभी भौतिक मामलों उपयुक्त बाहरी जानकारी, जैसे, सामग्री नियामक परिवर्तन सहित पर पूरी तरह से सूचित किया जाता है।	93	उत्कृष्ट
खंडीय : प्राप्तांक		97	उत्कृष्ट

आयाम	मापदंड	% प्राप्तांक	रेटिंग
बोर्ड के कार्य और विकास	बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि उसे नियमित और समझने योग्य वित्तीय रिपोर्टें/विवरण प्राप्त हों।	93	उत्कृष्ट
	संगठन की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखा जाता है।	100	उत्कृष्ट
	बोर्ड के पास शीर्ष प्रबंधन और अन्य लोगों के साथ संचार के खुले चैनल हैं और उन्हें ठीक से जानकारी दी गई है।	93	उत्कृष्ट
	बोर्ड अपने शासन में पारदर्शिता और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए प्रभावी निर्णय लेने और उनके कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए घटनाओं पर सकारात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है।	90	उत्कृष्ट
	बोर्ड के सदस्य हितधारकों के सर्वोत्तम हित में निष्पक्ष और सहयोगात्मक रूप से निर्णय लेते हैं और ऐसे निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार महसूस करते हैं।	97	उत्कृष्ट
	बोर्ड के सदस्य ख्याति के महत्वपूर्ण कार्य अर्थात संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सेवा प्रदाताओं का विनियमन, संवर्धन और विकास को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं।	97	उत्कृष्ट
खंडीय : प्राप्तांक		95	उत्कृष्ट

आगामी रास्ता

8.5 उभरती चुनौतियों का तेजी से और कुशलता से समाधान किए जाने के साथ संहिता के अधीन दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था का विकास जारी है। संहिता का भावी रोडमैप तैयार किया जा रहा है। दिवाला ढांचे के शेष तत्वों को स्थापित करना, अर्थात सीमा पार दिवाला; उद्यम समूह दिवाला; व्यैक्तिक दिवाला और शोधन अक्षमता आदि से संबंधित संहिता के भाग III के शेष तत्व, और एमएसएमई के लिए पीपीआईआरपी ढांचे को और मजबूत करना, कुछ ऐसे मील के पत्थर हैं जिन्हें अभी तक संहिता की विकासवादी यात्रा में हासिल किया जाना है। इससे आगे बढ़ते हुए, बोर्ड की नीतिगत कार्यसूची में सीआईआरपी और परिसमापन प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित और तेज करने के उपाय शामिल होंगे।

ञ बोर्ड का वित्तीय कार्य-निष्पादन

9.1 संहिता में अपेक्षा की जाती है कि आईबीबीआई उचित लेखा और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखे और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रूप में लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करे। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक है कि आईबीबीआई के लेखाओं की लेखा-परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।

9.2 तदनुसार, केंद्र सरकार ने आईबीबीआई (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2018 को अधिसूचित किया है। आईबीबीआई ने इन नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने लेखाओं का वार्षिक विवरण और बैलेंस शीट तैयार किया और लेखा-परीक्षा समिति और उसके जीबी से अनुमोदन कराने के बाद उन्हें लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अग्रेषित किया है। सी एंड एजी ने इन खातों की लेखा-परीक्षा की और अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट 3 नवंबर 2022 को अग्रेषित की।

9.3 जबकि आईबीबीआई को वित्त वर्ष 2021-22, में केंद्र सरकार से कुल 2600 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ था, इसने वर्ष के दौरान, 631.45 लाख रुपये का आंतरिक राजस्व जुटाया, जिसमें आईपीए/आईपी/आईयू जैसे सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रेषित शुल्क शामिल था। सारणी 28 पिछले वर्ष के संगत आंकड़ों के साथ वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड के वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाती है।

सारणी 28 : वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आय और व्यय का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

आय	2020-21	2021-22
अनुदान/सब्सिडी	2658.00	2600.00
शुल्क/सदस्यता	537.99	568.06
निवेश से आय	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	-	-
अर्जित ब्याज	53.38	62.55
अन्य आय	99.06	0.84
कुल (क)	**3348.43**	**3231.45**
व्यय	2020-21	2021-22
स्थापना व्यय	1532.07	1581.11
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	1230.34	1107.20
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय।	-	-
ब्याज	-	-
मूल्यह्रास	48.46	45.18
कुल (ख)	**2810.87**	**2733.49**
व्यय से अधिक आय का शेष होना क-ख विशेष रिजर्व में अंतरण सामान्य रिजर्व में/से अंतरण	537.56	497.96
शेष के अधिशेष घाटा होने के कारण इसे संचयी/ पूंजीगत निधि में ले जाया गया	537.56	497.96

ञ सांविधिक दायित्वों के साथ अनुपालन

10.1 बोर्ड संविधि का सृजन है। इसके लिए संविधि के उपबंधों के साथ-साथ अन्य लागू कानूनों का अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है। सारणी-29 में बोर्ड द्वारा अनुपालन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 29 : सांविधिक दायित्वों के अनुपालन का विवरण

क्र. सं.	संविधि	अपेक्षित अनुपालन	अनुपालन की स्थिति
1.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	धारा 16 (2) : यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है तो आईपी को आईआरपी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।	बोर्ड ने आईपी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो, की स्थिति की जांच करने के लिए एए को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, ताकि विलंब को समाप्त किया जा सके। 2021-22 में इस संबंध में बोर्ड को एए से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।
2.		धारा 16 (4) : बोर्ड एए से संदर्भ प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर, उस आईपी के नाम की अनुशंसा करेगा, जहां ओसी द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किया गया है और आईआरपी के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिदेशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार करके साझा किए हैं, जिन्हें एए द्वारा सीधे बोर्ड को संदर्भित किए बिना, 01 जुलाई - 31 दिसंबर, 2021 और जनवरी 01 - 30 जून, 2022 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। हालांकि, 2021-22 में बोर्ड को इस संबंध में एए से 1 संदर्भ प्राप्त हुआ और निर्धारित समय के भीतर उसका जवाब दे दिया।
3.		धारा 22(4) : बोर्ड सीओसी द्वारा प्रस्तावित आरपी के नाम की पुष्टि करेगा।	बोर्ड ने आईपी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो, की स्थिति की जांच करने के लिए एए को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिससे विलंब समाप्त हो गया है। हालांकि, बोर्ड को इस संबंध में 2021-22 में एए से 8 संदर्भ प्राप्त हुए और जिनका निर्धारित समय के भीतर जवाब दिया गया।
4.		धारा 34(6) : बोर्ड, एए के निदेश के दस दिनों के भीतर, परिसमापक के रूप में नियुक्त करने के लिए आईपी के नाम का प्रस्ताव करेगा।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिदेशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार किए हैं और साझा किए हैं, जिन्हें बोर्ड को संदर्भित किए बिना सीधे एए द्वारा 01 जुलाई - 31 दिसंबर, 2021 और जनवरी 01 - 30 जून, 2022 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। हालांकि, बोर्ड को इस संबंध में 2021-22 में एए' से 4 संदर्भ प्राप्त हुए और जिनका निर्धारित समय के भीतर जवाब दिया गया।
5.		धारा 97(2) : बोर्ड एए द्वारा निदेश प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर पुष्टि करेगा कि प्रस्तावित समाधान व्यावसायिक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है या नहीं।	बोर्ड ने एआईपी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो, की स्थिति की जांच करने के लिए एए को एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिससे विलंब समाप्त हो गया है। हालांकि, बोर्ड को इस संबंध में 2021-22 में एए से 63 संदर्भ प्राप्त हुए और जिनका निर्धारित समय के भीतर जवाब दिया गया।
6.		धारा 97(4) : बोर्ड, निदेश प्राप्त करने के दस दिनों के भीतर, एक व्यैक्तिक की दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आरपी नामित करेगा, जहां धारा 94 या 95 के अधीन देनदार या लेनदार, जैसा भी मामला हो, द्वारा आवेदन फाइल किया गया होगा, आरपी के माध्यम से नहीं।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिदेशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार और साझा किए हैं, जिन्हें एए द्वारा सीधे बोर्ड को संदर्भित किए बिना, 01 जुलाई से 31 दिसंबर, 2021 और 01 जनवरी से 30 जून, 2022 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। हालांकि, बोर्ड को इस संबंध में 2021-22 में एए से 6 संदर्भ प्राप्त हुए और जिनका निर्धारित समय के भीतर जवाब दिया गया।
7.		धारा 98(3) : बोर्ड आरपी के प्रतिस्थापन के लिए धारा 98(2) के अधीन एए से संदर्भ प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर एक आरपी के नाम की अनुशंसा करेगा, जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं होगी।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिदेशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार किए हैं और साझा किए हैं, जिन्हें बोर्ड को संदर्भित किए बिना सीधे एए द्वारा 01 जुलाई - 31 दिसंबर, 2021 और जनवरी 01 - 30 जून, 2022 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। इस संबंध में बोर्ड को 2021-22 में एए से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था।
8.		धारा 125(2) : बोर्ड एए द्वारा निदेश प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर पुष्टि करेगा कि प्रस्तावित बीटी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है या नहीं।	बोर्ड ने एए को एक आईपी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो, की स्थिति की जांच करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिससे विलंब समाप्त हो गया है। इस संबंध में बोर्ड को एए से 2021-22 में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।
9.		धारा 125(4) : बोर्ड उन मामलों में धारा 125(3) के अधीन एए के निदेश प्राप्त करने के दस दिनों के भीतर एक बीटी नामित करेगा जिनमें देनदार या लेनदार द्वारा बीटी का प्रस्ताव नहीं किया गया है।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिदेशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार करके साझा किए हैं, जिन्हें एए द्वारा सीधे बोर्ड को संदर्भित किए बिना, 01 जुलाई - 31 दिसंबर, 2021 और जनवरी 01 - 30 जून, 2022 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। इस संबंध में बोर्ड को एए से 2021-22 में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था।
10.		धारा 146(3) : बोर्ड बीटी के त्यागपत्र देने पर धारा 146(2) के अधीन एए के निदेश के दस दिनों के भीतर, प्रतिस्थापन के रूप में एक और बीटी की अनुशंसा करेगा।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिदेशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार और साझा किए हैं, जिन्हें एए द्वारा सीधे बोर्ड को संदर्भित किए बिना, 01 जुलाई से 31 दिसंबर, 2021 और 01 जनवरी से 30 जून, 2022 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। इस संबंध में बोर्ड को एए से 2021-22 में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था।
11.		धारा 147(3) : बोर्ड धारा 147(2) के अधीन त्यागपत्र के अलावा किसी भी कारण से रिक्त होने पर, एए के निदेश के दस दिनों के भीतर, प्रतिस्थापन के रूप में बीटी की अनुशंसा करेगा।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिदेशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार करके साझा किए हैं, जिन्हें एए द्वारा सीधे बोर्ड को संदर्भित किए बिना, 01 जुलाई से 31 दिसंबर, 2021 और 01 जनवरी से 30 जून, 2022 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। इस संबंध में बोर्ड को एए से 2021-22 में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था।

क्र. सं.	संविधि	अपेक्षित अनुपालन	अनुपालन की स्थिति
12.		दिवाला और शोधन अक्षमता कारपोरेट देनदारों के व्यैक्तिक प्रत्याभूतिदाता के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन नियम, 2019 का नियम 8(2) : बोर्ड आईपी का एक ऐसा पैनल साझा कर सकता है, जिन्हें धारा 97(4) और धारा 98(3) के उद्देश्य से एए के साथ आरपी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिदेशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार किए हैं और साझा किए हैं, जिन्हें बोर्ड को संदर्भित किए बिना सीधे एए द्वारा 01 जुलाई - 31 दिसंबर, 2021 और जनवरी 01 - 30 जून, 2022 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है।
13.		दिवाला और शोधन अक्षमता का नियम 8(2) कारपोरेट देनदारों के व्यैक्तिक प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के लिए आवेदन नियम, 2019: बोर्ड दिवाला व्यावसायिकों का एक ऐसा पैनल साझा कर सकता है, जिन्हें एए के साथ संहिता की धारा 125(4) और धारा 146(3) और धारा 147(3) के उद्देश्य से बीटी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिदेशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार किए हैं और साझा किए हैं, जिन्हें बोर्ड को संदर्भित किए बिना सीधे एए द्वारा 01 जुलाई - 31 दिसंबर, 2021 और जनवरी 01 - 30 जून, 2022 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है।
14.		आईपी विनियमों के साथ पठित धारा 207: आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को इस बात को समझाने का अवसर प्रदान करने के बाद निरस्त किया जा सकता है कि आवेदन को क्यों स्वीकार किया जाए।	बोर्ड ने 2021-22 में आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए 3 आवेदनों को निरस्त कर दिया है।
15.		आईबीबीआई (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 के साथ पठित धारा 217: बोर्ड नियमानुसार शिकायतों को प्राप्त करेगा और उनका निपटारा करेगा।	बोर्ड को वर्ष 2021-22 के दौरान 1461 शिकायतें प्राप्त हुईं और वर्ष के दौरान 1633 शिकायतों का निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों की जांच की जा रही है और उनका निस्तारण किया जा रहा है।
16.		आईबीबीआई (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 के साथ पठित धारा 218: बोर्ड संहिता के किसी भी उपबंध या बनाए गए नियमों या विनियमों या जारी किए गए निदेशों के कथित उल्लंघन के मामले में आईपी, आईपीए या आईयू का निरीक्षण कर सकता है।	बोर्ड ने 2021-22 के दौरान 106 निरीक्षण शुरू किए और वर्ष के दौरान 54 निरीक्षण संपन्न किए। शेष निरीक्षण चल रहे हैं और निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया में हैं।
17.		आईपी विनियमों के साथ पठित धारा 220: डीसी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप तर्कपूर्ण आदेश द्वारा कारण बताओ नोटिस एससीएन का निपटान करेगा।	संकलित किया जा रहा है
18.		आईबीबीआई लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप नियम, 2018 के साथ पठित धारा 223: बोर्ड उचित लेखे बनाएगा और ऐसे लेखाओं की लेखा-परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।	बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपना वार्षिक लेखा तैयार किया है। सीएजी ने उसी का ऑडिट किया और उस पर ऑडिट रिपोर्ट अपने पत्र दिनांक 3 नवंबर 2022 के माध्यम से अग्रेषित की।
19.		आईबीबीआई वार्षिक रिपोर्ट नियम, 2018 के साथ पठित धारा 229: बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में यथा-निर्धारित प्ररूप और समय पर, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पिछले वित्तीय के दौरान किए गए कार्यकलापों का पूरा लेखा-जोखा होगा और उसकी एक प्रति केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।	2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट 21 मार्च, 2022 को केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई थी।
20.		धारा 230: बोर्ड एक आदेश द्वारा, अपनी शक्तियों और कार्यों, जैसा वह आवश्यक समझे, को प्रत्यायोजित कर सकता है।	बोर्ड ने 24 जनवरी, 2017 को आईबीबीआई शक्तियों का प्रत्यायोजन आदेश, 2017 जारी किया। इसने 25 अप्रैल, 2018 को और फिर 02 जुलाई, 2020 को उक्त आदेश में संशोधन किया।
21.		धारा 236: बोर्ड शिकायत फाइल कर सकता है।	बोर्ड ने 2021-22 के दौरान विशेष न्यायालय में 7 शिकायतें फाइल कीं।
22.		धारा 240: बोर्ड को खंड में निर्दिष्ट मामलों पर विनियम बनाने की आवश्यकता है।	बोर्ड ने शासी बोर्ड के अनुमोदन से 2021-22 के दौरान 1 नया विनियमन और 9 संशोधन विनियम बनाए। 31 मार्च, 2022 तक, बोर्ड ने निम्नांकित तैयार किए हैं: (क) सेवा प्रदाताओं (आईपी, आईपीई, आईपीए और आईयू) को विनियमित करने के लिए छ: विनियम; (ख) प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए आठ विनियम (सीआईआरपी, फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया, परिसमापन प्रक्रिया, स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया, पीजी से सीडी के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया, पीजी से सीडी और पीपीआईआरपी के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया); तथा (ग) बोर्ड के आंतरिक कामकाज को विनियमित करने के लिए चार विनियम।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>संविधि</th><th>अपेक्षित अनुपालन</th><th>अनुपालन की स्थिति</th></tr>
<tr><td>23.</td><td></td><td>धारा 241: विनियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।</td><td>बोर्ड ने 2021-22 में अधिसूचित 10 विनियमों को 2021-22 के दौरान संसद के समक्ष रखने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय को भेजा।</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>केंद्रीय वस्तुएं और सेवाएं कर अधिनियम, 2017 (जीएसटी)</td><td>धारा 37(1) : कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आगामी माह के दसवें दिन से पहले वस्तुओं या सेवाओं की जावक आपूँत का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
हालांकि, रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार
<table>
<tr><th>के माह के लिए</th><th>अंतिम तारीख</th></tr>
<tr><td>अप्रैल, 2021</td><td>24 जुलाई, 2021</td></tr>
<tr><td>मई, 2021</td><td>28 जुलाई, 2021</td></tr>
<tr><td>जून, 2021</td><td>05 अगस्त, 2021</td></tr>
<tr><td>जुलाई, 2021 – मार्च, 2022</td><td>अगले माह का 11वां दिन</td></tr>
</table>
</td><td>बोर्ड ने निम्नानुसार अपेक्षित विवरण फाइल किया :
<table>
<tr><th>के माह के लिए</th><th>फाइल करने की तारीख</th></tr>
<tr><td>अप्रैल, 2021</td><td>26 मई, 2021</td></tr>
<tr><td>मई, 2021</td><td>24 जून, 2021</td></tr>
<tr><td>जून, 2021</td><td>11 जुलाई, 2021</td></tr>
<tr><td>जुलाई, 2021</td><td>11 अगस्त, 2021</td></tr>
<tr><td>अगस्त, 2021</td><td>11 सितंबर, 2021</td></tr>
<tr><td>सितंबर, 2021</td><td>11 अक्तूबर, 2021</td></tr>
<tr><td>अक्टूबर, 2021</td><td>11 नवंबर, 2021</td></tr>
<tr><td>नवंबर, 2021</td><td>10 दिसंबर, 2021</td></tr>
<tr><td>दिसंबर, 2021</td><td>11 जनवरी, 2022</td></tr>
<tr><td>जनवरी, 2022</td><td>11 फरवरी, 2022</td></tr>
<tr><td>फरवरी, 2022</td><td>11 मार्च, 2022</td></tr>
<tr><td>मार्च, 2022</td><td>11 अप्रैल, 2022</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>25.</td><td></td><td>धारा 38(2) : कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को दसवें दिन के बाद लेकिन अगले महीने के पंद्रहवें दिन या उससे पहले वस्तुओं या सेवाओं की आवक आपूँत का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
हालांकि, रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीखें निम्नानुसार अधिसूचित की गईं:
<table>
<tr><th>के माह के लिए</th><th>अंतिम तारीख</th></tr>
<tr><td>अप्रैल, 2021</td><td>04 जून, 2021</td></tr>
<tr><td>मई, 2021 – मार्च, 2022</td><td>अगले माह का 20वां दिन</td></tr>
</table>
</td><td>बोर्ड ने निम्नानुसार अपेक्षित विवरण फाइल किया :
<table>
<tr><th>के माह के लिए</th><th>फाइल करने की तारीख</th></tr>
<tr><td>अप्रैल, 2021</td><td>27 मई, 2021</td></tr>
<tr><td>मई, 2021</td><td>29 जून, 2021</td></tr>
<tr><td>जून, 2021</td><td>19 जुलाई, 2021</td></tr>
<tr><td>जुलाई, 2021</td><td>19 अगस्त, 2021</td></tr>
<tr><td>अगस्त, 2021</td><td>17 सितंबर, 2021</td></tr>
<tr><td>सितंबर, 2021</td><td>18 अक्तूबर, 2021</td></tr>
<tr><td>अक्टूबर, 2021</td><td>17 नवंबर, 2021</td></tr>
<tr><td>नवंबर, 2021</td><td>16 दिसंबर, 2021</td></tr>
<tr><td>दिसंबर, 2021</td><td>17 जनवरी, 2022</td></tr>
<tr><td>जनवरी, 2022</td><td>17 फरवरी, 2022</td></tr>
<tr><td>फरवरी, 2022</td><td>16 मार्च, 2022</td></tr>
<tr><td>मार्च, 2022</td><td>20 अप्रैल, 2022</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>26.</td><td></td><td>धारा 44(1) : कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दिसंबर के इकतीसवें दिन या उससे पहले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
धारा 44 2 : इसके लिए प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को वार्षिक रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑडिट किए गए वार्षिक लेखाओं की प्रति और समाधान विवरण के साथ प्रस्तुत करना अपेक्षित है।</td><td>बोर्ड ने 24 दिसंबर, 2021 को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिटर्न फाइल किया। 2021-22 के लिए वार्षिक रिटर्न 31 दिसंबर 2022 तक दायर किया जाना है ।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>संविधि</th><th>अपेक्षित अनुपालन</th><th>अनुपालन की स्थिति</th></tr>
<tr><td>27.</td><td></td><td>धारा 51(1) : इसमें निर्दिष्ट व्यक्तियों को कर-योग्य वस्तुओं या सेवाओं के आपूँतकर्ताओं को किए गए निर्दिष्ट भुगतानों से स्रोत पर कर कटौती करना अपेक्षित है।
धारा 39(3) : इसमें प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे महीने की समाप्ति के बाद दस दिनों के भीतर, स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है, जो उस महीने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करता है जिसमें कटौती की गई है।</td><td>बोर्ड ने निम्नानुसार अपेक्षित विवरण फाइल किया :
<table><tr><th>के माह के लिए</th><th>फाइल करने की तारीख</th></tr><tr><td>अप्रैल, 2021</td><td>09 मई, 2021</td></tr><tr><td>मई, 2021</td><td>09 जून, 2021</td></tr><tr><td>जून, 2021</td><td>08 जुलाई, 2021</td></tr><tr><td>जुलाई, 2021</td><td>05 अगस्त, 2021</td></tr><tr><td>अगस्त, 2021</td><td>08 सितंबर, 2021</td></tr><tr><td>सितंबर, 2021</td><td>08 अक्तूबर, 2021</td></tr><tr><td>अक्टूबर, 2021</td><td>09 नवंबर, 2021</td></tr><tr><td>नवंबर, 2021</td><td>07 दिसंबर, 2021</td></tr><tr><td>दिसंबर, 2021</td><td>09 जनवरी, 2022</td></tr><tr><td>जनवरी, 2022</td><td>07 फरवरी, 2022</td></tr><tr><td>फरवरी, 2022</td><td>07 मार्च, 2022</td></tr><tr><td>मार्च, 2022</td><td>08 अप्रैल, 2022</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>28.</td><td>आयकर अधिनियम, 1961</td><td>धारा 139 : बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न फाइल करेगा।</td><td>बोर्ड ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपनी आयकर रिटर्न 7 नवंबर 2022 को फाइल की।</td></tr>
<tr><td>29.</td><td></td><td>धारा 200: बोर्ड वेतन, अनुबंध और व्यावसायिक सेवाओं के संबंध में स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करेगा अ
<table><tr><th>के माह के लिए</th><th>फाइल करने की तारीख</th></tr><tr><td>अप्रैल, 2021 -फरवरी, 2022</td><td>माह के अंत से सात दिनों के भीतर</td></tr><tr><td>मार्च, 2022</td><td>30 अप्रैल, 2022</td></tr></table></td><td>बोर्ड ने अपेक्षित टीडीएस काट लिया और उसे हर महीने जमा किया, जैसा कि नीचे दिया गया है :
<table><tr><th>के माह के लिए</th><th>फाइल करने की तारीख</th></tr><tr><td>अप्रैल, 2021</td><td>06 मई, 2021</td></tr><tr><td>मई, 2021</td><td>07 जून, 2021</td></tr><tr><td>जून, 2021</td><td>05 जुलाई, 2021</td></tr><tr><td>जुलाई, 2021</td><td>04 अगस्त, 2021</td></tr><tr><td>अगस्त, 2021</td><td>06 सितंबर, 2021</td></tr><tr><td>सितंबर, 2021</td><td>05 अक्टूबर, 2021</td></tr><tr><td>अक्टूबर, 2021</td><td>03 नवंबर, 2021</td></tr><tr><td>नवंबर, 2021</td><td>03 दिसंबर, 2021</td></tr><tr><td>दिसंबर, 2021</td><td>07 जनवरी, 2022</td></tr><tr><td>जनवरी, 2022</td><td>02 फरवरी, 2022</td></tr><tr><td>फरवरी, 2022</td><td>04 मार्च, 2022</td></tr><tr><td>मार्च, 2022</td><td>29 अप्रैल, 2022</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>30.</td><td></td><td>आयकर नियम, 1962 का नियम 31।: बोर्ड कर कटौती का त्रैमासिक विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करेगा :
<table><tr><th>को समाप्त तिमाही के लिए</th><th>अंतिम तारीख</th></tr><tr><td>30 जून, 2021</td><td>31 जुलाई, 2021</td></tr><tr><td>30 सितंबर, 2021</td><td>31 अक्टूबर, 2021</td></tr><tr><td>31 दिसंबर, 2021</td><td>31 जनवरी, 2022</td></tr><tr><td>31 मार्च, 2022</td><td>30 जून, 2022</td></tr></table></td><td>बोर्ड ने स्रोत पर कर कटौती के विवरण निम्नानुसार फाइल किए :
<table><tr><th>को समाप्त तिमाही के लिए</th><th>फाइल करने की तारीख</th></tr><tr><td>30 जून, 2021</td><td>26 जुलाई, 2021</td></tr><tr><td>30 सितंबर, 2021</td><td>14 अक्तूबर, 2021</td></tr><tr><td>31 दिसंबर, 2021</td><td>15 जनवरी, 2022</td></tr><tr><td>31 मार्च, 2022</td><td>31 मई, 2022</td></tr></table></td></tr>
</table>

क्र. सं.	संविधि	अपेक्षित अनुपालन	अनुपालन की स्थिति
31.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	धारा 4(1)(ख) : बोर्ड अपनी वेबसाइट पर निर्दिष्ट मामलों के बारे में स्वत: प्रकटीकरण करेगा।	बोर्ड ने यह प्रकटीकरण आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(।)(ख) के अधीन किया है।
32.		धारा 7(1) : सीपीआईओ आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदकों को सूचना प्रदान करेगा।	सीपीआईओ ने 327 आवेदकों को जानकारी दी। इसने सभी मामलों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना प्रदान की।
33.		धारा 19(6) : एफएए 45 दिनों के भीतर अपीलों का निपटारा करेगा।	एफएए ने वर्ष के दौरान निर्धारित समय के भीतर 62 अपीलों का निपटारा किया।
34.	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013	बोर्ड आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेगा।	आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर दिया गया है।
35.	सामान्य वित्तीय नियम, 2017	नियम 229 गप : बोर्ड प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता-ज्ञापन एमओयू संपन्न करेगा।	बोर्ड ने 08 जून, 2022 को 2021-22 के लिए एमसीए के साथ समझौता-ज्ञापन में प्रवेश किया।
36.		नियम 230(8) : यह नियम बोर्ड से अपेक्षा करता है कि लेखाओं को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद सहायता अनुदान के प्रति सभी ब्याज या अन्य आय को भारत की समेकित निधि सीएफआई में जमा कराए।	वित्तीय वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज 2021-22 को 13 जुलाई, 2022 को सीएफआई को प्रेषित कर दिया गया है।
37.		नियम 234: अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था के रूप में, बोर्ड के लिए अनुदानों के रजिस्टर का रखरखाव करना और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। नियम 238: यह नियम अपेक्षा करता है कि बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के भीतर प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोग के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।	बोर्ड अनुदानों के रजिस्टर का रखरखाव करता है और इसने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 13 जुलाई 2022 को उपयोगिता प्रमाणपत्र एमसीए को जमा कर दिया है।
38.	कर्मचारी संबंधी नियम	भर्ती में आरक्षण	वर्ष के दौरान कोई सीधी भर्ती नहीं हुई थी।
39.		कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि/पेंशन: बोर्ड कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन अंशदान की कटौती करेगा और जमा करेगा।	बोर्ड ने: (क) प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि अंशदान की कटौती की और नियोक्ता के योगदान के साथ, उनके संबंधित नियोक्ताओं को प्रेषित किया। (ख) नियमित कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंशदान की कटौती की और इसे संबंधित एनपीएस लेखाओं में जमा किया। (ग) अध्यक्ष और डब्ल्यूटीएम के संबंध में अंशदायी भविष्य निधि अंशदान की कटौती की और नियोक्ता के योगदान के साथ आवर्ती और सावधि जमा लेखा में जमा किया।
40.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	प्रमुख नियोक्ता के रूप में, बोर्ड के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संविदा के आधार पर कार्यरत जनशक्ति के संबंध में अधिनियम के उपबंधों का पालन किया जाता है।	बोर्ड ने सुनिश्चित किया है कि जनशक्ति सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन किया जाए।
41.	संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970	धारा 7 : मुख्य नियोक्ता के रूप में, बोर्ड को संविदाकार के माध्यम से श्रमशक्ति तैनात करने के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।	बोर्ड ने दिनांक 03 सितंबर, 2020 को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त किया। हालांकि, इस अधिनियम को तब से समाप्त कर दिया गया है।

ट संगठनात्मक मामले

उत्तरदायित्व केंद्र

शासी बोर्ड

11.1 सारणी 30 में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार आईबीबीआई के सदस्यों का विवरण प्रस्तुत है।

सारणी 30: 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार आईबीबीआई का शासी बोर्ड

नाम	के रूप में नियुक्त	नियुक्ति की तारीख
श्री रवि मितल	अध्यक्ष	09.02.22
श्री उन्नीकृष्णन ए.	पदेन सदस्य	01.10.16
डॉ. सुश्री मुकुलिता विजयवर्गीय	डब्ल्यूटीएम	13.04.17
डॉ. शशांक सकसेना	पदेन सदस्य	24.05.17
डॉ. राजीव मणि	पदेन सदस्य	26.02.19
श्री बी. श्रीराम	अंशकालिक सदस्य	04.07.19
डॉ. कृष्णामूर्ति सुब्रमनियन	अंशकालिक सदस्य	08.07.19
श्री सुधाकर शुक्ला	डब्ल्युटीएम	14.11.19
डॉ. अनुराधा गुरु	पदेन सदस्य	28.01.22

अध्यक्ष, आईबीबीआई के रूप में डॉ एम एस साहू के कार्यकाल की समाप्ति

11.2 डॉ. एम.एस. साहू ने 30 सितंबर, 2021 को आईबीबीआई के अध्यक्ष के रूप में अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। आईबीबीआई परिवार ने डॉ. साहू को विदाई दी और शानदार विदाई समारोह में विचारशील नेतृत्व और दूरदशद्र व्यक्तित्व के रूप में उनके उत्कृष्ट योगदान को याद किया।

अतिरिक्त प्रभार – अध्यक्ष, आईबीबीआई और डॉ. नवरंग सैनी का कार्यकाल पूरा करना

11.3 डॉ. नवरंग सैनी, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई ने 13 अक्टूबर, 2021 को अपने मौजूदा कर्तव्यों के अलावा आईबीबीआई के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया। इसे 14 जनवरी, 2022 के आदेश द्वारा आगे बढ़ाया गया। डॉ. नवरंग सैनी ने 5 मार्च, 2022 को आईबीबीआई के डब्ल्यूटीएम के रूप में पांच वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया। आईबीबीआई परिवार ने डॉ सैनी को विदाई दी और आईबीबीआई में उनके कार्यकाल के दौरान उनके बहुमूल्य योगदान को स्मरण किया।

श्री रवि मितल, अध्यक्ष, आईबीबीआई में नियुक्ति

11.4 श्री रवि मितल ने 9 फरवरी, 2022 को आईबीबीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। आईबीबीआई में शामिल होने से पहले, वे सचिव, खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के पद से सेवानिवृत्त हुए।

पदेन सदस्य के रूप में डॉ अनुराधा गुरु की नियुक्ति

11.5 केंद्र सरकार ने 28 जनवरी, 2022 की अधिसूचना द्वारा डॉ. अनुराधा गुरु, आर्थिक सलाहकार, एमसीए को बोर्ड में उक्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए आईबीबीआई में पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया।

कर्मचारियों के साथ शासी बोर्ड के अंशकालिक सदस्यों की बातचीत

11.6 आईबीबीआई के जीबी के अंशकालिक सदस्यों के साथ आईबीबीआई उप महाप्रबंधक स्तर और ऊपर के अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारियों की वर्चुअल मोड के माध्यम से 27 जुलाई, 2021 को बातचीत हुई। बातचीत के दौरान, जीबी के अंशकालिक सदस्यों और अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और अन्य बातों के साथ-साथ संस्था और नियामक के रूप में आईबीबीआई के कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए।

हितधारकों के साथ चर्चा

11.7 आईबीबीआई द्वारा 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की पुनर्कल्पना' विषय पर आईबीबीआई के जीबी सदस्यों के साथ हितधारकों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन बातचीत की श्रृंखला, श्री राजेश वर्मा, सचिव, एमसीए और डॉ के. वी. सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार के साथ आयोजित की गई। वार्ता को पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी प्रक्रियाओं के बारे में निष्पक्ष ईमानदार राय और प्रतिक्रिया देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उक्त बातचीत का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है :

क्र.सं.	हितधारक की श्रेणी	चर्चा की तारीख
1	वित्तीय लेनदार बैंक, वित्तीय संस्थान और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां	11 अगस्त, 2021
2	उद्योग प्रतिनिधि व्यवसाय/कारपोरेट घराने, उद्योग चम्बर्स और एसोसिएशन	18 अगस्त, 2021
3	व्यावसायिक अधिवक्ता, दिवाला व्यावसायिक, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक	26 अगस्त, 2021
4	प्रख्यात नागरिक वरिष्ठ नीति निर्माता, प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के प्रोफेसर, अर्थशास्त्री और प्रमुख आर्थिक दैनिक समाचार पत्रों के वरिष्ठ संपादक	06 सतम्बर, 2021

लेखा परीक्षा समिति

11.8 लेखा परीक्षा समिति वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जोखिम प्रबंधन प्रणाली और लेखा-परीक्षा कार्यों के क्षेत्रों में जीबी की सहायता करती है। 31 मार्च, 2022 तक लेखा परीक्षा समिति में निम्नानुसार शामिल हैं:

(क) डॉ. शशांक सक्सेना, अध्यक्ष के रूप में;
(ख) श्री बी. श्रीराम सदस्य के रूप में; तथा
(ग) बोर्ड के वित्त और लेखा प्रभारी डब्ल्यूटीएम सदस्य के रूप में

अनुशासनात्मक समिति

11.9 संहिता में डब्ल्यूटीएम (ओं) को शामिल करने वाले डीसी को संहिता की धारा 220(1) के अधीन एससीएन पर विचार करने और उनका निपटान करने की परिकल्पना की गई है। डीसी का गठन 1 फरवरी, 2017 को किया गया था और इसका पुनर्गठन किया गया है जैसा कि सारणी 31 में दर्शाया गया है।

सारणी ३१ : अनुशासन समिति की संरचना

गठन की तारीख	संरचना
01.02.17	डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष
23.08.17	डॉ. सुश्री मुकुलिता विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम
09.04.18	डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष/श्रीमती सुमन सक्सेना, डब्ल्यूटीएम, और डॉ. सुश्री मुकुलिता विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम
17.10.18	डॉ. नवरंग सैनी, डब्ल्यूटीएम
15.06.20	डॉ. सुश्री मुकुलिता विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम

आंतरिक शिकायत समिति

11.10 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, बोर्ड ने महिला कर्मचारी, यदि कोई हो, के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए 1 सितंबर, 2017 को आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया। 31 मार्च, 2022 तक आईसीसी में निम्नानुसार शामिल हैं :

(क) डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम, पीठासीन अधिकारी
(ख) श्री रितेश कावड़िया, ईडी, सदस्य

(ग) डॉ कोकिला जयराम, डीजीएम, सदस्य-सचिव
(घ) सुश्री बीना जैन, बाहरी विशेषज्ञ

मानव संसाधन

11.11 आईबीबीआई का प्रयास है कि एक नवोदित दिवाला शासन और संबंधित संस्थानों को पोषित करने के लिए सही प्रतिभा और दृष्टिकोण वाले व्यावसायिकों को आकर्षित किया जाए। यह अपने कर्मचारियों में लीक से हटकर सोच की तलाश करता है। यह अपने कर्मचारियों को उनके कौशल को परिष्कृत करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षित करता है और उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।

अनुसंधान सहायक

11.12 31 मार्च, 2022 तक अनुबंध के आधार पर अर्थशास्त्र/सार्वजनिक नीति, कानून और व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्रों से 21 अनुसंधान सहायक और एक परामर्शदाता थे।

11.13 सारणी 32 में 31 मार्च, 2022 को स्वीकृत कर्मचारियों की वास्तविक संख्या की तुलना में कर्मचारियों की वास्तविक संख्या को प्रस्तुत है।

कर्मचारी

सारणी 32 : आईबीबीआई के कर्मचारी

पद	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार वास्तविक संख्या बल	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		
		स्वीकृत संख्या बल	वास्तविक संख्या बल	भर्ती का तरीका
ईडी	3	4	4	प्रतिनियुक्ति
सीजीएम	3	12	8	प्रतिनियुक्ति
जीएम	0			
डीजीएम	7	12	7	प्रतिनियुक्ति
एजीएम	4			
एम	4	40	22	17 सीधी भर्ती द्वारा, 5 प्रतिनियुक्ति पर
एएम	19			
जीए/ पीए-III	शून्य	10	शून्य	उ.न.
जीए/ पीए-II				
जीए/पीए-I				
कुल	40	78	41	

इंटर्न्स

11.14 एक छात्र जो अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, प्रबंधन, या कानून में स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ क्रम में पांच वर्ष या तीन वर्ष का डिग्री कोर्स कर रहा है, और इस तरह के डिग्री कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएट के अंतिम वर्ष या चरण को पूरा कर लिया है- स्नातक पाठ क्रम; या एम. फिल करने वाला छात्र / अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, प्रबंधन, या कानून में पीएचडी पाठ क्रम, आईबीबीआई के साथ एक प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के लिए पात्र है। 2021-22 के दौरान 12 छात्रों ने आईबीबीआई में इंटर्नशिप की।

विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला

11.15 आईबीबीआई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपने विचार और अनुभव साझा करने और आईबीबीआई के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित करता है। महामारी के कारण प्रतिबंधों को देखते हुए, इस तरह की बातचीत ज्यादातर ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई। सारणी 33 में 2021-22 के दौरान दिए गए व्याख्यानों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 33 : 2021-22 में दिये गए विशिष्ट व्याख्यान

क्र.सं.	तारीख	वक्ता का नाम	पद/संगठन	विषय
1	27.10.2021	श्री सुरेश चन्द्र	सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रशिक्षण कार्यक्रम

11.16 सारणी 34 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करती है, जहां आईबीबीआई अधिकारियों ने दिवाला और शोधन अक्षमता के विकसित क्षेत्र में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाग लिया।

सारणी 34 : 2021-22 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें आईबीबीआई के अधिकारियों ने भाग लिया

क्र.सं.	तारीख	कार्यक्रम	प्रशिक्षण प्रदाता	अधिकारियों की संख्या
1	27.04.2021	आचरण नियम और सीसीए सीसीएस नियम	एनपीसी	1
2	20.05.2021	नेतृत्व और उच्च प्रदर्शन करने वाली टीमों का प्रबंधन	एनपीसी	3
3	27.05.2021 से 28.05.2021 तक	अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में अग्रिम पाठ क्रम	एनपीसी	3
4	06.07.2021 से 07.07.2021 तक	निवारक सतर्कता संबंधी उन्नत पाठ क्रम	एनपीसी	3
5	22.07.2021 से 23.07.2021 तक	अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी उन्नत पाठ क्रम	एनपीसी	1
6	01.09.2021 से 02.09.2021 तक	भारत और यूनाइटेड किंगडम की सरकार के बीच द्विपक्षीय कार्यशाला साइबर पॉलिसी डिपार्टमेंट, नेशनल सिक्युरिटी डायरेक्ट्रेट	डेटा एडिक्युएसी प्रोजेक्ट, यूनाइटेड किंगडम	11
7	06.09.2021 से 20.09.2021 तक	उभरते हुए डिजिटल युग में नियमों के भविष्य को आकार देना	भारतीय नियामकों का मंच	2
8	20.09.2021 4 माह के लिए	कारपोरेट शासन में प्रमाणपत्र कार्यक्रम बैच 8	आईआईसीए	1
9	10.01.2022 से 11.01.2022 तक	सेवा विनियम	एनपीसी	1
10	24.01.2022 से 25.01.2022 तक	सार्वजनिक खरीद में रक्षोपाय, संशोधनों सहित जीएफआर 2017	एनपीसी	4
11	07.02.2022 से 25.02.2022 तक	विनियमन और उसके प्रबंधन की डिजाइनिंग और प्रारूपण	आईआईसीए	2

11.17 आईबीबीआई ने वर्ष के दौरान अपने सभी अधिकारियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए, जैसा कि सारणी 35 में वर्णित है।

सारणी 35: आईबीबीआई द्वारा अपने अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	तारीख	कार्यक्रम / विषय की प्रवृत्ति	संकाय
1	10.09.2021	हरित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता	श्री देवेंद्र मेहता, आईपी
2	23.11.2021	प्रतिभूति बाजार में शिकायत समाधान प्रणाली	एनएसडीएल और सेबी
3	09.12.2021	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013	डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई
4	24.12.2021	विधायी प्रारूपण	श्री सुभाष चौधरी, महाप्रबंधक, आईबीबीआई
5	19.01.2021	मनुपात्रा विधिक डेटाबेस	डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई
6	23.03.2022	विधायी प्रारूपण	मनुपात्रा टीम
7	24.03.2022	नियामकों के लिए सीमा पार दिवाला	डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई

शिकायत निवारण अधिकारी

11.18 आईबीबीआई ने अपने दिनांक 7 अप्रैल, 2021 के आदेश द्वारा श्री सुशांत कुमार दास, डीजीएम को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 23 के अनुसार शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया।

शोक सन्देश

11.19 कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर विनाशकारी थी, जिसमें कई अनेक बहुमूल्य जीवन असमय काल का ग्रास बन गए। यह आईबीबीआई परिवार के लिए अत्यधिक निष्ठुर प्रहार था। इसके कई सदस्य इस वायरस से संक्रमित थे। इनमें से ज्यादातर ठीक हो चुके हैं। हालांकि, दूसरी लहर ने इस परिवार को गंभीर झटका दिया, जब इसने अपने दो उज्ज्वल अधिकारियों, श्री अप्पला सुब्रहण्यम, सीजीएम को 28 अप्रैल, 2021 को और डॉ. सुनील कुमार, डीजीएम, 24 मई, 2021 को बीमारी के कारण खो दिया। ये दोनों अधिकारी महान व्यक्ति थे। वे समाधान का अंग थे। उनके द्वारा निर्धारित व्यावसायिक उत्कृष्टता और बौद्धिक प्रतिभा के मानकों का लंबे समय तक अनुकरण किया जाएगा। आईबीबीआई परिवार उनके जाने और अपने पीछे छोड़े गए शून्य से अत्यंत पीड़ित है। दिवंगत आत्माओं को याद करने और प्रार्थना करने के लिए वर्चुअल शोक सभाओं का आयोजन किया गया।

वर्ष के दौरान अन्य कार्यकलाप

कोविड-19 महामारी

आईबीबीआई की कार्यप्रणाली

11.20 आईबीबीआई ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कई उपाय किए। आईबीबीआई के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी ने सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन किया, जैसे कि सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना और हाथों की स्वच्छता बनाए रखना। कार्यालयों में भीड़भाड़ से बचने के लिए कार्यालय का समय निर्धारित किया गया था। कार्यालय परिसर को नियमित रूप से सेनिटाइज किया गया। कर्मचारियों के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण 6 अप्रैल, 2021 और 16 अप्रैल, 2021 को आयोजित किए गए। इ-ऑफिस और इसके प्रतिबद्ध कार्यबल, जिसका उपयोग आईबीबीआई कोविड-19 के आगमन से पहले कर रहा था, की सहायता से, आईबीबीआई ने महामारी की दूसरी लहर के चरम के दौरान भी अपने हितधारकों के लिए सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखा।

कर्मचारियों का टीकाकरण

11.21 आईबीबीआई ने कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए कोविड टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया। पहली और दूसरी डोज देने के लिए क्रमशः 29 मई, 2021 और 26 जून, 2021 को शिविर आयोजित किए गए। सभी पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का टीकाकरण करके उन्हें प्रतिरोध-सक्षम बनाया गया।

टाउन हॉल की बैठक

11.22 कोविड-19 के कारण कठिन समय के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आईबीबीआई ने वर्चुअल टाउन हॉल बैठक का आयोजन किया। महामारी के कारण तनाव में वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए, श्री सुधाकर शुक्ला, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई ने उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत होने और जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करने की सलाह दी। उन्होंने कोविड-19 से पीड़ित अधिकारियों को आईबीबीआई की ओर से हर संभव मदद और सहायता का आश्वासन दिया।

संगठन

कार्यनीति बैठक

11.23 आईबीबीआई कार्यनीतिक कार्य योजना विकसित करने के लिए वार्षिक कार्यनीतिक बैठकें आयोजित कर रहा है जो अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ऊर्जा और संसाधनों को केंद्रित करती है, और आने वाले वर्ष के लिए वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कार्यों और उप-कार्यों की रूपरेखा तैयार करती है। महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वर्ष 2021-22 के लिए रणनीति बैठक 14-15 जून, 2021 को इ-मोड के माध्यम से हुई।

आईबीबीआई का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन

11.24 अपने अस्तित्व के लगभग पांच वर्षों के साथ, किसी बाहरी एजेंसी द्वारा, एक नियामक के रूप में और एक संस्था के रूप में, संहिता की परिधि से पृथक, आईबीबीआई के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार आईबीबीआई ने इस तरह के मूल्यांकन के लिए एनसीएईआर में विनियमन पर आईईपीएफ चेयर यूनिट की स्थापना की। एनसीएईआर ने 29 दिसंबर, 2021 को 'भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के नियामक प्रदर्शन का मूल्यांकन' के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

कार्यक्रम

आतंकवाद विरोधी दिवस

11.25 आईबीबीआई ने 21 मई, 2021 को ऑनलाइन मोड में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया। इस अवसर पर आईबीबीआई के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ एम एस साहू ने आईबीबीआई के अधिकारियों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस

11.26 डॉ. नवरंग सैनी, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई ने 31 मई, 2021 को आईबीबीआई के अधिकारियों को तंबाकू के उपयोग से दूर रहने के लिए 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस' पर शपथ दिलाई। उन्होंने तंबाकू के दुष्प्रभावों पर भी प्रकाश डाला और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन न करने की सलाह दी।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

11.27 आईबीबीआई ने 21 जून, 2021 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया। श्री अजय कुमार जैन, आईपी और योग प्रशिक्षक द्वारा आईबीबीआई के सभी अधिकारियों के लिए योग, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य पर वर्च्युल कार्यशाला आयोजित की गई। श्री जैन ने दैनिक जीवन में योग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशिष्ट क्षमताओं में सुधार के लिए विभिन्न योगाभ्यास भी सिखाए।

हिंदी पखवाड़ा

11.28 आईबीबीआई ने 13 सितंबर, 2021 से 19 सितंबर, 2021 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया। इस अवधि के दौरान इसने हिंदी को भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में लोकप्रय बनाने और आधिकारिक कार्यों में इसके आगे उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन किया। कर्मचारियों ने हिंदी में प्रश्नोत्तरी और कविता पाठ जैसी विभिन्न कार्यक्रमों में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और पुरस्कार जीते। 'आईबीसी: ए पीपुल सेंटर्ड रिफॉर्म' विषय पर निबंध प्रतियोगिता और आजादी

का अमृत महोत्सव का भी आयोजन किया गया और सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों के लिए पुरस्कार दिए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, २०२१

11.29 आईबीबीआई ने 26 अक्टूबर, 2021 से 1 नवंबर, 2021 तक स्वतंत्र भारत / 75 : सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। डॉ. नवरंग सैनी, तत्कालीन अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार), आईबीबीआई ने अधिकारियों को ई-मोड के माध्यम से शपथ दिलाई। आईबीबीआई को केंद्रीय सतर्कता आयोग से सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ।

संविधान दिवस

11.30 आईबीबीआई ने भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर, 2021 को संविधान दिवस मनाया। अधिकारियों ने डॉ. नवरंग सैनी, तत्कालीन अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार), आईबीबीआई के साथ संविधान की प्रस्तावना के पाठन में शामिल हुए और इसकी विचारधारा को अक्षुण रखने के की प्रतिबद्धता दोहरायी। उन्होंने माननीय राष्ट्रपति के संविधान की प्रस्तावना के वाचन के सीधे प्रसारण का अनुसरण भी किया।

आईएआईआर वेबिनार

11.31 दा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंसॉल्वंसी रेगुलेटर्स (आईएआईआर) ने अपने सदस्य देशों के लिए 24 जून, 2021 को 'इस स्तर की आद्यतन मात्रा से निपटने के लिए अनुमानित मात्रा और कार्यनीतियों' पर वेबिनार का आयोजन किया। श्री सुधाकर शुक्ला, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई ने वेबिनार में भारतीय संदर्भ में इस विषय पर प्रस्तुति दी।

संहिता की पांचवीं वर्षगांठ

11.32 संहिता के अधिनियमन की 5वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, आईबीबीआई ने 28 मई, 2021 को आईबीबीआई और एमसीए के अधिकारियों की भागीदारी के साथ वर्च्युल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एमसीए के सचिव श्री राजेश वर्मा ने भाग लिया। अपने संबोधन में, उन्होंने दिवाला और शोधन अक्षमता क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के बाद हितधारकों की पीड़ा को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई उपायों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पीपीआईआरपी प्रख्यापित करने वाला हालिया अध्यादेश व्यवसायों को समय से पहले बंद होने से बचाने के लिए ऐसा ही एक कदम था। संहिता की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने समूह दिवाला, सीमा पार दिवाला, व्यैक्तिक दिवाला, आईयू को मजबूत करने आदि से संबंधित जारी कार्यों के संदर्भ में आगे की राह पर विचार-विमर्श किया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

11.33 अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर को मनाने के लिए, आईबीबीआई ने 8 मार्च, 2022 को इस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र की थीम 'जेंडर इक्वैलिटी टूडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमोरो' की तर्ज पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर खेल एवं युवा कार्य विभाग की सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी मुख्य अतिथि थीं। संगोष्ठी में सफलता की कहानियां साझा करना विषय पर भी एक सत्र था, जिसमें डॉ. दीपा मलिक, अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट पद्म श्री और अर्जुन पुरस्कार विजेता ; सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, भारतीय उच्चतम न्यायालय; श्रीमती सुधाबेन सुरेशभाई पटेल, उपाध्यक्ष, वलसाड मिल्क यूनियन; सुश्री दीपिका भुगरा प्रसाद, आईपी; सुश्री निशा मालपानी, आईपी और आरवी; और सबसे कम आयु की महिला आईपी जीआईपी सुश्री वीनू ड्राल ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और अपने अनुभव साझा किए।

वार्षिक दिवस समारोह

11.34 आईबीबीआई ने 1 अक्टूबर, 2021 को अपना पांचवां वार्षिक दिवस मनाया। इस अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। श्री राजेश वर्मा, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय विशिष्ट अतिथि थे। डॉ. एम. एस. साहू, पूर्व अध्यक्ष, आईबीबीआई ने इस अवसर पर विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में शिरकत की। डॉ. बिबेक देबरॉय ने 'फ्रॉम नो एक्जिट टू इजी एक्जिट - ए केस स्टडी ऑफ आईबीसी' पर पांचवां वार्षिक व्याख्यान दिया। कोविड-19 महामारी प्रोटोकॉल के मद्देनजर वार्षिक दिवस में सीमित संख्या में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति देखी गई। तथापि, बड़ी संख्या में हितधारकों ने इस कार्यक्रम को इ-मोड माध्यम से लाइव देखा।

11.35 डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय ने आईबीबीआई का वार्षिक प्रकाशन, 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का पंचवर्षीय अंक' जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने क्विज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी को पदक, मेरिट प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किया। संहिता के सफल कार्यान्वयन के पांच वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, श्री हरप्रीत सिंह, पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली सर्कल, डाक विभाग द्वारा 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016' पर कस्टमाइज्ड 'माई स्टाम्प' के लोकार्पण को सुकर बनाया गया। इस अवसर पर, आईबीबीआई ने आईआईआईपीआई के भारतीय दिवाला व्यावसायिक संस्थान के सहयोग से, संहिता के अधिनियमन के पांच वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में '5 इयर्स ऑफ फैसिलिटेटिंग ईज ऑफ एक्जिट' शीर्षक से ई-बुक जारी की।

संसदीय मामले

अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति

11.36 राज्य सभा के अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के अध्यक्ष ने 28 जून, 2021 को संहिता के अधीन बनाए गए और बनाए जाने वाले नियमों और विनियमों पर ब्रीफिंग ली। अध्यक्ष को सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और अध्यक्ष, आईबीबीआई द्वारा जानकारी प्रदान की गई।

वित्त की स्थायी समिति की बैठकें

11.37 वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 7 जुलाई, 2021 को 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन - कमियां और समाधान' विषय पर और 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और आईबीबीआई को वर्ष 2022-23 के लिए बजट आवंटन' से संबंधित मामलों पर 24 फरवरी, 2022 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। समिति के समक्ष एमसीए के सचिव और अन्य अधिकारी, अध्यक्ष, आईबीबीआई और आईबीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए और साक्ष्य प्रस्तुत किए।

संसद सदस्यों के लिए प्रस्तुति

11.38 डॉ. एम. एस. साहू, तत्कालीन अध्यक्ष, आईबीबीआई ने 23 जुलाई, 2021 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 पर माननीय संसद सदस्यों के समूह के समक्ष प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया।

2021-22 में हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन

एनएसई के साथ समझौता-ज्ञापन

11.39 आईबीबीआई ने अनुसंधान सहयोग के लिए 6 अगस्त, 2021 को एनएसई के साथ समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। सहयोग का उद्देश्य भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में समृद्ध अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। इससे डेटा और एनालिटिक्स के आधार पर सर्वोत्तम प्रथाओं और परिणामों पर विश्वसनीय अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

इग्नू के साथ समझौता-ज्ञापन

11.40 अपने समर्थन अभियान को आगे बढ़ाते हुए, आईबीबीआई ने 16 सितंबर, 2021 को ज्ञान दर्शन चैनल की टेली-व्याख्यान सुविधा का उपयोग करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए इग्नू ज्ञान दर्शन चैनल की टेली-व्याख्यान सुविधाओं का उपयोग करके आईबीबीआई की ज्ञान प्रबंधन पहल की पहुंच में कई गुना वृद्धि करना है।

आईबीए के साथ समझौता-ज्ञापन

11.41 आईबीबीआई ने 4 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में लेनदारों की समिति:

सार्वजनिक भरोसे का सस्थान विषय पर कार्यशाला के आयोजन के अवसर पर आईबीए के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य मुख्य रूप से वित्तीय लेनदारों के लिए, दिवाला, शोधन अक्षमता और अन्य संबंधित विषयों से संबंधित विषयों पर जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना है।

सूचना और पारदर्शिता का अधिकार

11.42 आईबीबीआई पारदर्शिता के हित में, अपनी वेबसाइट पर नियमों, परिपत्रों और निर्णयों और सेवा प्रदाताओं के विवरण और संहिता के अधीन प्रक्रियाओं से संबंधित विभिन्न प्रकटीकरण करता है। इसने किसी भी नागरिक को इसे भेजे जा रहे आवेदन पर जानकारी प्रदान करने के अलावा, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) की धारा 4 के अधीन निर्धारित प्रकटीकरण को भी अद्यतन किया।

11.43 आईबीबीआई ने 10 जून, 2021 को आरटीआई अधिनियम के अधीन किए गए आवेदन पर किसी नागरिक को जानकारी प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 2(ज) के अधीन श्री राजेश कुमार, महाप्रबंधक को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी सीपीआईओ नामित किया। आईबीबीआई ने श्री सी. रामचंद्र राव, महाप्रबंधक को 25 जून, 2021 को लिंक-सीपीआईओ नामित किया।

11.44 आईबीबीआई ने पूर्ववतद्र एफएए डॉ. अनुराधा गुरु, ईडी के उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन होने पर आरटीआई अधिनियम की धारा 19 1 के अधीन सीपीआईओ के आदेशों के विरुद्ध अपीलों के निपटान के लिए श्री संतोष कुमार शुक्ला, ईडी को 24 जून, 2021 को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एफएए नामित किया। आईबीबीआई ने श्री अमित प्रधान, ईडी को 25 जून, 2021 को लिंक-एफएए नामित किया।

11.45 सारणी 36 में 2021-22 के दौरान आरटीआई अधिनियम के अधीन आवेदनों और प्रथम अपीलों की प्राप्ति और निपटान का विवरण प्रस्तुत है।

सारणी 36 : आरटीआई आवेदन और प्रथम अपीलों की प्राप्ति और निपटान

क्र. सं.	विवरण	संख्या	
		2020-21	2021-22
1	पिछले वर्ष से आगे लाए गए आवेदन	7	12
2	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना मांगने के लिए सीपीआईओ को प्राप्त आवेदन	310	333
3	आवेदन जिनमें सीपीआईओ ने सूचना प्रदान की है	305	327
4	सीपीआईओ के पास लंबित आवेदन	12	18
5	पिछले वर्ष से आगे लाई गई अपीलें	3	3
6	सीपीआईओ के आदेश के विरुद्ध एफएए के समक्ष फाइल की गई अपीलें	39	59
7	एफएए द्वारा निपटाई गई अपीलें	39	62
8	एफएए के पास लंबित अपीलें	3	0
9	उन आवेदनों/अपीलों की संख्या जिनका निपटारा निर्धारित समय-सीमा की भीतर नहीं किया गया	0	0

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

7वां तल, मयूर भवन,
शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली-110001

www.ibbi.gov.in